भारत सरकार

बजट 2021-2022 की घोषणाओं का कार्यान्वयन

[बजट भाषण — 1 फरवरी, 2021]

1 फरवरी, 2022

वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

बजट उद्घोषणाएं, 2021-2022 के कार्यान्वयन की स्थिति

विषय वस्तु सारणी

क्र.सं.	पैरा सं.	विषय (बजट भाषण 2021-22 में)	पृष्ठ
1.	30	पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना	1
2.	31	मिशन पोषण 2.0	2
3.	33	जल जीवन मिशन (शहरी)	3
4.	34	शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0	3
5.	35	वायु प्रदुषण से निपटने के लिए आवंटन	4
6.	36	वाहन स्क्रैपिंग नीति	4
7.	37	देशभर में न्यूमोकोरूल वैक्सीन की शुरूआत	5
8.	38	कोविड-19 वैक्सीन के लिए ₹35,000 करोड़ का प्रावधान	5
9.	40	एक आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए पीएलआई योजनाएं	5
10.	41	मेगा निवेश वस्त्र पार्क योजना	12
11.	45	विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना	13
12.	46	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा इनविट और आरईआईटी का ऋण वित्तपोषण	13
13.	47	राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन	14
14.	48	पूंजीगत व्यय के लिए बढ़ा हुआ आवंटन	21
15.	49	बुनियादी ढांचे पर अधिक खर्च करने के लिए राज्यों के लिए विशिष्ट तंत्र।	22
16.	50	भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट का विस्तार	22
17.	51	राज्यों में आर्थिक गलियारों के लिए सड़क अवसंरचना का विस्तार	23
18.	52	प्रमुख परियोजनाएं: सड़कें और राजमार्ग	25

क्र.सं.	पैरा सं.	विषय (बजट भाषण 2021-22 में)	पृष्ठ
19.	53	सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए पूंजीगत परिव्यय के लिए अभिबृद्ध प्रावधान	28
20.	54	भारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना - 2030	28
21.	55	वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) और पूर्वी डीएफसी को आरंभ करना	29
22.	56	रेल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पूंजी परिव्यय में वृद्धि।	30
23.	57	सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के संवर्धन के समर्थन की योजना	30
24.	58	नई मेट्रो रेल प्रणालियों के रूप में 'मेट्रोलाइट' और 'मेट्रोनियो' की तैनाती	31
25.	59	विभिन्न मेट्रो रेलवे परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण	31
26.	61	किसी विद्युत वितरण कंपनी का चयन करने के लिए बिजली उपभोक्ता के लिए रूपरेखा	32
27.	62	सुधारों पर आधारित परिणाम से जुड़ी बिजली वितरण क्षेत्र योजना में सुधार	32
28.	63	राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन	33
29.	64	पीपीपी मोड पर प्रमुख बंदरगाहों का संचालन	33
30.	65	मर्चेंट शिप की फ्लैगिंग को बढ़ावा देने की योजना	34
31.	66	जहाजों के पुनर्चक्रण की क्षमता में वृद्धि	35
32.	67	गैस आपूर्ति वितरण नेटवर्क को बढ़ाने के लिए पहलें	35
33.	68	युक्तियुक्त एकल प्रतिभूति बाजार कोड	36
34.	69	गिफ्ट-आईएफएससी में वर्ल्ड क्लास फिन-टेक हब का विकास।	36
35.	70	कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार के लिए स्थायी संस्थागत ढांचा	37
36.	71	विनियमित गोल्ड एक्सचेंजों के एक तंत्र की स्थापना	37
37.	72	निवेशक चार्टर आरंभ करना	37
38.	73	गैर-पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त पूंजी में वृद्धि करना	38
39.	74	बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाना	38

क्र.सं.	पैरा सं.	विषय (बजट भाषण 2021-22 में)	पृष्ठ
40.	75	एक नई संरचना स्थापित करके तंगहालीग्रस्त आस्ति समाधान	38
41.	76	पीएसबी का पुनर्पूंजीकरण	39
42.	77	जमा बीमा - डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में संशोधन	39
43.	78	सरफेसी अधिनियम, 2002 - ऋण वसूली के लिए पात्र न्यूनतम ऋण आकार में कमी	39
44.	79	सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008 का वैधीकरण	40
45.	80	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत छोटी कंपनियों की परिभाषा में संशोधन।	40
46.	81	एक व्यक्ति कंपनियों के निगमन के लिए प्रोत्साहन	41
47.	82	एनसीएलटी ढांचे का सुदृढ़ीकरण	41
48.	83	एमसीए 21 संस्करण 3.0 का शुभारंभ	42
49.	84	सामरिक विनिवेश के लिए विधायी संशोधन	42
50.	85	एलआईसी का आईपीओ	47
51.	86	सीपीएसई का रणनीतिक विनिवेश	47
52.	87	विनिवेश नीति को तेजी से आगे बढ़ाना	48
53.	88	राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश के लिए राज्यों के लिए प्रोत्साहन पैकेज	48
54.	89	अतिरेक सरकारी/सीपीएसई भूमि का मुद्रीकरण	48
55.	90	रुग्ण सीपीएसई को समय पर बंद करने के लिए संशोधित तंत्र	49
56.	91	बजट अनुमान 2021-22 . में विनिवेश से अनुमानित प्राप्तियां	49
57.	92	कोष एकल खाता तंत्र का विस्तार	49
58.	94	बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए अलग प्रशासनिक ढांचा	50
59.	101	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने के लिए स्वामित्व योजना का विस्तार	50
60.	102	उन्नत कृषि ऋण लक्ष्य	50

क्र.सं.	पैरा सं.	विषय (बजट भाषण 2021-22 में)	पृष्ठ
61.	103	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष में बढ़ा हुआ आवंटन	51
62.	104	नाबार्ड के तहत सूक्ष्म सिंचाई कोष में वृद्धि करना	51
63.	105	हरित क्रान्ति योजना के दायरे का विस्तार करना	51
64.	106	अतिरिक्त 1000 मंडियों के ई-नाम का एकीकरण	52
65.	107	एपीएमसी के लिए कृषि अवसंरचना कोष में वृद्धि	52
66.	108	आधुनिक मछली पकड़ने के बंदरगाह और मछली लैंडिंग केंद्रों का विकास	52
67.	109	तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापन	53
68.	110	देश भर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का कार्यान्वयन	53
69.	111	टमटम, भवन, निर्माण-श्रमिकों आदि पर जानकारी एकत्र करने के लिए पोर्टल	54
70.	112	चार श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन	54
71.	113	स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत मार्जिन मनी में कमी	55
72.	116	राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए स्कूलों को सुदृढ़ बनाना	55
73.	117	100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना करना	55
74.	118	भारत के उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना	56
75.	119	अनुसंधान संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए ग्लू अनुदान	56
76.	120	लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना	56
77.	121	राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिस्से के रूप में शिक्षा पर पहलें	57
78.	122	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु इकाई लागत में वृद्धि	62
79.	123	अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए केंद्रीय सहायता को बढ़ाना	62
80.	124	शिक्षुता अधिनियम में संशोधन	62
81.	125	कौशल विकास के लिए विदेशों के साथ साझेदारी की पहल	63

क्र.सं.	पैरा सं.	विषय (बजट भाषण 2021-22 में)	पृष्ठ
82.	126	राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान की स्थापना	63
83.	127	भुगतान के डिजिटल तरीकों को बढ़ावा देना	64
84.	128	राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनएलटीएम)	64
85.	129	पीएसएलवी-सीएस51 का प्रमोचन	65
86.	130	गगनयान मिशन	65
87.	131	डीप ओशन मिशन का शुभारंभ	65
88.	133	अधिकरणों के कामकाज को युक्तिसंगत बनाने के उपाय	66
89.	134	राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक पुरःस्थापित करना	66
90.	135	संविदात्मक विवादों के त्वरित समाधान के लिए सुलह तंत्र	66
91.	136	पहली डिजिटल जनगणना	67
92.	138	चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए विशेष योजना	68
93.	141	आकस्मिकता निधि में वृद्धि	69
94.	142	वर्ष 2021-2022 के लिए राज्यों के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4% पर शुद्ध उधारी	70
95.	145	एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन	70

बजट उद्घोषणाएं, 2021-2022 के कार्यान्वयन की स्थिति

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1	30	एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना ₹64,180 करोड़ के परिव्यय के साथ 6 वर्ष के लिए लांच की जाएगी। यह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमताओं को विकसित करेगी, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थाओं को सुदृढ़ करेगी और नई और सामने आने वाली बीमारियों की पहचान करने और उनका इलाज करने के लिए नई संस्था बनाएंगी। यह राष्ट्रीय स्वस्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी। इस योजना के अन्तर्गत मुख्य पहल निम्नलिखित हैं: क. 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और वैलनेस केन्द्रों के लिए समर्थन ख. 11 राज्यों में सभी जिलों में एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं और 3382 ब्लॉक लोक स्वास्थ्य इकाईयां स्थापित करना। ग. 602 जिलों और 12 केन्द्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लाक स्थापित करना। घ. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी), इसकी पांच क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगर स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को सुदृढ़ करना, ङ. एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तार ताकि सभी लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ा जा सके।	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण:** ▪ कैबिनेट ने 15 सितंबर, 2021 को प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ▪ माननीय प्रधान मंत्री ने 25 अक्टूबर, 2021 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के नाम से योजना शुरू की है। ▪ 25 अक्टूबर 2021 को योजना के शुभारंभ के साथ-साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए और राज्यों को प्रसारित किए गए। ▪ पीएम-एभीम के तहत 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों यथाआंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर, यूपी, एमपी, एचपी, मेघालय, तमिलनाडु और उत्तराखंड से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और अनुमोदन के लिए प्रक्रिया के तहत हैं। ▪ 10 राज्यों से समझौता ज्ञापन प्राप्त हो गया है और 5 को मंजूरी दे दी गई है और शेष अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं। ▪ बाद की कार्रवाइयां प्रक्रियाधीन हैं **स्वास्थ्य अनुसंधान:** ▪ यह पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना (पीएम-एएसबीवाई) के तहत कवर किया गया है, जिसे अब प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) योजना का नाम दिया गया है। ▪ इस योजना को 15.09.2021 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है और

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
		च. 17 नई लोक स्वास्थ्य इकाईयों को चालू करना और 33 मौजूदा लोक स्वास्थ्य इकाईयों को प्रवेश बिंदुओं पर सुदृढ़ करना जो 32 विमानपत्तनों, 11 बन्दरगाहों और 7 लैंड क्रॉसिंग्स पर हैं। छ. 15 स्वास्थ्य आपातकालीन आपरेशन केंद्रों और 2 मोबाइल अस्पतालों की स्थापना करना। और ज. वन हैल्थ, जो डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफार्म है, के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, 9 बायो-सेफ्टी लेवल III प्रयोगशालाएं और विषाणु विज्ञान के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना करना। **मंत्रालय/विभाग:** **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, स्वास्थ्य अनुसंधान**	औपचारिक रूप से माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 25.10.2021 को लॉन्च किया गया। ▪ नागपुर में एक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भूमि की पहचान की गई है/करार किया है और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है। ▪ डिब्रूगढ़, न्यू चंडीगढ़, बेंगलुरू और जबलपुर में 4 क्षेत्रीय एनआईवी के लिए भूमि की पहचान/बंधन भी किया गया है और निर्माण के लिए आईसीएम द्वारा सीपीडब्ल्यूडी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।
2	31	पोषणगत मात्रा, डिलीवरी, आउटरीच तथा परिणाम को सुदृढ़ करने के लिए हम सम्पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय कर देंगे और मिशन पोषण 2.0 का शुभारंभ करेंगे। हम 112 आकांक्षी जिलों में पोषणगत परिणामों में सुधार लाने के लिए एक सुदृढ़ीकृत कार्यनीति अपनायेंगे। **मंत्रालय/विभाग:** **महिला और बाल विकास**	▪ पोषाहार सामग्री, वितरण, आउटरीच और परिणामों को मजबूत करने के लिए, प्रस्तावित मिशन पोषण 2.0 के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को फिर से संरेखित किया जा रहा है। ▪ पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए और कुपोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा का पोषण करने वाली प्रथाओं को विकसित करने के लिए एक गहन रणनीति अपनाई जाएगी। ▪ ईएफसी ने 21.05.2021 को इस प्रस्ताव पर विचार किया। ▪ "एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम मिशन पोषण 2.0" पर सीसीईए नोट प्रक्रियाधीन है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
3	33	जल जीवन मिशन (शहरी) लांच किया जाएगा। इसका उद्देश्य सभी 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति और 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करना है। इसे ₹2,87,000 करोड़ के परिव्यय से 5 वर्ष में कार्यान्वित किया जाएगा। **मंत्रालय/विभाग:** **आवास और शहरी कार्य**	▪ माननीय प्रधान मंत्री ने 1 अक्टूबर 2021 को कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन - अमृत 2.0 का शुभारंभ किया। ▪ मंत्रिमंडल ने 13 अक्टूबर, 2021 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अमृत 2.0 परिचालन दिशानिर्देश 27 अक्टूबर, 2021 को जारी किए गए हैं। ▪ अमृत 2.0 के विभिन्न पहलुओं पर राज्यों को अद्यतन करने के लिए - जैसे दिशा-निर्देश, शहर जल संतुलन योजनाओं को ऑनलाइन अपलोड करना और प्राप्त परिणामों के लिए धन का दावा करना आदि, 24-25 नवंबर, 2021 को लखनऊ में भौतिक रूप से उत्तर प्रदेश के साथ सेमिनार आयोजित किए गए हैं और दिसंबर, 2021 में साथ ऑनलाइन मोडों 11 राज्यों तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और पंजाब के साथ आयोजित किए।
4	34	शहरी भारत को और अधिक स्वच्छ बनाने के लिए, हमारा इरादा पूर्ण अवमल प्रबंधन और अपशिष्ट जल शोधन, कचरे के स्रोत पर पृथक्करण, एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी लाने, निर्माण और विध्वंस के कार्यकलापों के अपशिष्ट का प्रभावी रूप से प्रबंध करके वायु प्रदूषण में कमी लाने और सभी पुराने डम्प साइटों के बायो-उपचार पर ध्यान केन्द्रित करना है। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्ष की अवधि में ₹1,41,678 करोड़ के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा। **मंत्रालय/विभाग:** **आवास और शहरी कार्य**	▪ माननीय प्रधान मंत्री ने 1 अक्टूबर,2021 को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) - एसबीएम-यू 2.0 का शुभारंभ किया, जिसमें कुल ₹1,41,600 करोड़ का आवंटन किया गया। ▪ कैबिनेट ने 12 अक्टूबर, 2021 को प्रस्ताव को मंजूरी दी।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
5	35	वायु प्रदुषण की विकराल होती समस्या का समाधान करने के लिए, मैं इस बजट में 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए ₹2,217 करोड़ की राशि मुहैया कराने का प्रस्ताव करती हूं। **मंत्रालय/विभाग:** **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन**	▪ 15वें वित्त आयोग (एक्सवी-एफसी) ने वायु गुणवत्ता में सुधार के आधार पर वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान के लिए मिलियन से अधिक आबादी वाले 42 शहरी समूह (यूए) की पहचान की है। ▪ वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 तक के प्रदर्शन मूल्यांकन और निधि जारी करने के लिए परिचालन दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और इसे सभी हितधारकों के साथ साझा किया गया है। ▪ समझौता ज्ञापनों को साझा किया गया है जो 42 मिलियन से अधिक शहरों में से प्रत्येक के मामले में एमओईएफसीसी, राज्य शहरी विकास विभाग और यूएलबीहस्ताक्षर करेंगे। •राज्य स्तरीय निगरानी और कार्यान्वयन समितियों (एसएलएमआईसी) का गठन किया जा रहा है जो वित्त वर्ष 2021-22 से 42 मिलियन से अधिक शहरों के लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान जारी करने के लिए एमओईएफसीसी द्वारा की जाने वाली सिफारिशों के लिए डीओई को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। ▪ वित्तीय वर्ष-2021-22 के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में एकरूपता बनाए रखने के लिए संबंधित राज्यों/यूएलबी के साथ मानकों के मूल्यांकन के लिए मानदंड साझा किए गए हैं। ▪ वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान जारी करने के लिए डीओई को सिफारिश करने के लिए मिलियन से अधिक शहरों की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हो रही है।
6	36	हम पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध रीति से हटाने के लिए अलग से एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा कर रहे हैं। इससे ईंधन-दक्ष,	वाहन स्क्रैपिंग नीति के लिए अंतिम अधिसूचनाएं [जीएसआर अधिसूचना 653 (ई)] दिनांक 23-09-2021, स्वचालित परीक्षण स्टेशन [जीएसआर अधिसूचना 652 (ई)], दिनांक 23-09-2021 प्रोत्साहन

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
		पर्यावरण अनुकुल वाहनों को प्रोत्साहित करने, इस तरह वाहन प्रदूषण, तेल आयात बिल को कम करने में मदद मिलेगी। व्यक्तिगत वाहनों के मामले में 20 वर्ष के पश्चात और वाणिज्यिक वाहनों के मामले में 15 वर्ष के पश्चात वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटरों में फिटनेस जांच करानी होगी। इस योजना का ब्यौरा मंत्रालय द्वारा अलग से साझा किया जाएगा। **मंत्रालय/विभाग:** **सड़क परिवहन और राजमार्ग**	और हतोत्साहन [जीएसआर अधिसूचना 714 (ई)] दिनांक 04-10-2021 और मोटर वाहन कर में रियायत [जीएसआर अधिसूचना 720 (ई)] दिनांक 06-10-2021 प्रकाशित की गई हैं।
7	37	न्यूमोकोल वैक्सीन, एक भारत निर्मित उत्पाद है, जो वर्तमान में केवल 5 राज्यों तक सीमित है, को पूरे देश में लागू किया जाएगा इससे प्रति वर्ष 50 हजार से अधिक बाल मृत्यु को रोका जाएगा। **मंत्रालय/विभाग:** **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण**	यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (यूआईपी) के तहत न्यूमोकोकल वैक्सीन (पीसीवी) को देश भर में बढ़ाया गया है।
8	38	मैंने बजट अनुमान 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए ₹35 हजार करोड़ प्रदान किये हैं। मैं और अधिक निधियां, यदि आवश्यक हुई, तो उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हूं। **मंत्रालय/विभाग:** **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण**	28 दिसंबर,2021 तक, टीकाकरण अभियान की शुरुआत के बाद से पात्र लाभार्थियों को कोविड-19 टीकों की कुल 142.46 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं।
9	40	5 ट्रिलियन अमरीकी डालर वाली अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे विनिर्माण क्षेत्र को सतत आधार पर दोहरे अंकों में बढ़ाना है। हमारी विनिर्माण कंपनियों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृखंलाओं का एक अंगभूत भाग बनने, प्रमुख सक्षमता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी रखने की आवश्यकता है। उपर्युक्त सभी को हासिल	**नीति आयोग:** • निम्नलिखित क्षेत्रों पर उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है: उन्नत रसायन सेल, ▪ ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक ▪ बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर,

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
		करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक चैंपियन बनने हेतु 13 सेक्टरों के लिए पीएलआई योजनाएं घोषित की गई हैं। इसके लिए, सरकार वित्त वर्ष 2021-22 से आरंभ करके अगले 5 वर्ष में लगभग ₹1.97 लाख करोड़ की व्यवस्था करने के लिए कटिबद्ध है। यह पहल प्रमुख क्षेत्रों में व्यापकता और आकार लाने में, वैश्विक चैंपियन सृजित और पोषित करने तथा हमारे युवाओं को नौकरियां देने में सहायता करेगी। **मंत्रालय/विभाग:** **नीति आयोग,** **भारी उद्योग,** **एमईआईटीवाई,** **भेषज,** **वस्त्र,** **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग,** **एमएनआरई** **डीपीआईआईटी,** **इस्पात,** **दूरसंचार**	▪ फार्मास्यूटिकल्स, ▪ कपड़ा ▪ खाद्य प्रसंस्करण, ▪ सौर पीवी, ▪ सफेद सामान (एसी और एलईडी), ▪ दूरसंचार उत्पाद ▪ स्पेशलिटी स्टील • कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालय/विभाग अपनी-अपनी योजनाओं को निम्नानुसार कार्यान्वित कर रहे हैं:- **भारी उद्योग विभाग:** **उन्नत रसायन विज्ञान प्रकोष्ठ के लिए पीएलआई योजना:** ▪ योजना 09.06.2021 को अधिसूचित की गई। ▪ योजना के प्रस्ताव/बोली आमंत्रित करने के लिए आरएफपी 22.10.2021 को सीपीपीपी पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। ▪ प्री-बिड मीटिंग 12.11.2021 को आयोजित की गई थी। ▪ 17.12.2021 को बोली-पूर्व प्रश्नों का उत्तर दिया गया। ▪ बोली की तिथि को संशोधित किया जा रहा है। ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए पीएलआई योजना: ▪ योजना **23.09.2021** को अधिसूचित की गई थी। ▪ आईएफसीआई लिमिटेड (आईएफसीआई) को **'**परियोजना प्रबंधन एजेंसी**' (**पीएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है। ▪ ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए पीएलआई योजना के लिए आवेदन पत्र और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी की सूची **10.11.2021** को अधिसूचित की गई है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			▪ आवेदन आमंत्रित करने की सूचना के लिए आवेदन विंडो **9** जनवरी **2022** तक खोली गई है। ▪ कुल **115** कंपनियों ने अपने आवेदन दाखिल किए हैं। एमईआईटीवाई: **I. बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई:** ▪ योजना को **01.04.2020** को अधिसूचित किया गया है। ▪ योजना के कार्यान्वयन के लिए नियमों और प्रक्रियाओं और विस्तृत कार्यान्वयन रणनीति को शामिल करते हुए परिचालन दिशानिर्देश **01.06.2020** को जारी किए गए हैं। ▪ योजना के पहले दौर के तहत मोबाइल हैंडसेट और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लक्षित खंडों के लिए **16** आवेदनों को मंजूरी दी गई है। ▪ पीएलआई योजना के दूसरे दौर को निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लक्षित खंड के लिए **11.03.2021** को अधिसूचित किया गया है। ▪ आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **31.03.2021** थी। ▪ योजना के दूसरे दौर के तहत लक्षित खंड निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए **16** आवेदनों को मंजूरी दी गई है। **II. आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई:** ▪ आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को **03.03.2021** को अधिसूचित किया गया है। ▪ योजना दिशानिर्देश **15.04.2021** को जारी किए गए थे। ▪ योजना के तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **30.04.2021** थी।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			भेषज विभाग: **पीएलआई-**1.0 (**बल्क ड्रग्स**)**:** ▪ मंत्रिमंडल ने **20.03.2020** को प्रस्ताव को मंजूरी दी ▪ योजना के दिशा-निर्देश **29.10.2020** को जारी। पीएमए लगाया गया है। ▪ राउंड **1** और राउंड **II** में कुल **239** आवेदन प्राप्त हुए। **50** आवेदकों को ₹**4498.38** करोड़ के प्रतिबद्ध निवेश के साथ अनुमोदित किया गया है**,** और चार अलग-अलग लक्षित क्षेत्रों में लगभग **10743** व्यक्तियों के रोजगार सृजन की उम्मीद है। ▪ ₹**5310** करोड़ की प्रोत्साहन राशि का उपयोग किया जाएगा बशर्ते कि आवेदक प्रदर्शन सीमा को पूरा करें। ▪ **2020-21** के दौरान पीएमए/व्यय के लिए जारी की गई राशि ₹**1.55** करोड़ है। **चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई:** ▪ मंत्रिमंडल ने दिनांक **20.03.2020** को प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ▪ योजना के दिशा-निर्देश दिनांक **29.10.2020** को जारी किये गए थे। पीएमए लगाया गया है। ▪ राउंड **I** और राउंड **II** में कुल **42** आवेदन प्राप्त हुए थे। ₹**1059.33** करोड़ के प्रतिबद्ध निवेश और चार अलग-अलग लक्षित खंडों में लगभग **6411** व्यक्तियों लोगों के रोजगार सृजन सहित **21** आवेदकों को मंजूरी दी गई है। ▪ ₹**2541** करोड़ की प्रोत्साहन राशि का उपयोग किया जाएगा बशर्ते कि आवेदक निष्पादन पात्रता को पूरा करें। ▪ **2020-21** के दौरान पीएमए/व्यय के लिए जारी की गई राशि: ₹**2.005** करोड़ है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			भेषज के लिए पीएलआई: ▪ कैबिनेट द्वारा दिनांक **24.02.21** को भेषज पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई थी। ▪ योजना के संचालनात्मक दिशा-निर्देश दिनांक **01.06.2021** को जारी किए गए थे। ▪ उद्योग से दिनांक **31.08.2021** तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे और तब से **55** आवेदकों को स्वीकृत किया जा चुका है। **वस्त्र मंत्रालय:** **वस्त्रों के लिए पीएलआई:** ▪ कैबिनेट ने दिनांक **8** सितंबर, **2021** को वस्त्र उत्पादों**,** एमएमएफ खण्ड और तकनीकी वस्त्रों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और पांच साल की अवधि में ₹**10,683** करोड़ के स्वीकृत वित्तीय परिव्यय सहित निर्यात बढ़ाने के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना दिनांक **27.09.2021** को अधिसूचित की गई है। ▪ आवेदन प्राप्त करने के लिए वेब पोर्टल विकास को विकसित किया गया है। ▪ पीएलआई योजना के लिए परिचालन दिशानिर्देश वस्त्र मंत्रालय की वेबसाइट पर दिनांक **28.12.2021** को अपलोड कर दिए गए हैं। ▪ वस्त्र मंत्रालय दिनांक **01** जनवरी **2022** से लागू पीएलआई पोर्टल के माध्यम से पीएलआई योजना के तहत वस्त्र मंत्रालय ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करेगा। ▪ आवेदन विंडो **01.01.2022** से **31.01.2022** तक खुली रहेगी। **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय:** **खाद्य प्रसंस्करण के लिए पीएलआई योजना** ▪ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पीएलआई योजना (पीएलआईएसएफपीआई) को भारत

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			सरकार द्वारा 2021-22 से 2026-27 के दौरान ₹10,900 करोड़ के परिव्यय सहित कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। ▪ विस्तृत योजना दिशानिर्देश और योजना के तहत शामिल करने हेतु आवेदन आमंत्रित करने वाले ईओआई को 24.06.2021तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 02.05.2021 को विस्तारित करते हुए जारी किए गए थे। ▪ कुल 274 आवेदन (श्रेणी-I: 91, श्रेणी-II: 89, श्रेणी-III:94) प्राप्त हुए थे। ▪ पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए अनुमोदन श्रेणी-I के 60 आवेदकों, श्रेणी-II के 12 आवेदकों और श्रेणी- III के 71 आवेदकों को अनुमोदित किया गया है। **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई):** **सौर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई योजना:** ▪ एमएनआरई ने 28 अप्रैल, 2021 को पीएलआई योजना 'उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम' के लिए योजना दिशानिर्देश जारी किए हैं। ▪ 25.05.2021 को, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) ने बोली दस्तावेज (पीएलआई योजना के तहत उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए निर्माताओं के चयन के लिए आमंत्रित आवेदन) जारी किया था, जिसके तहत, इरेडा द्वारा तीन सफल बोलीदाताओं को आवंटित धनराशि की सीमा तक (अर्थात ₹4500 करोड़ का वर्तमान परिव्यय) लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया गया है ।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			डीपीआईआईटी: **सफेद वस्तुओं के लिए पीएलआई योजना (एसी और एलईडी)** ▪ मंत्रिमंडल ने 07.04.2021 को ₹6,238 करोड़ के परिव्यय के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक व्हाइट गुड्स (एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स) के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी। ▪ सफेद वस्तुओं के लिए पीएलआई योजना 16.04.2021 को ई-राजपत्र में अधिसूचित की गई थी। ▪ योजना दिशानिर्देश 04.06.2021 को प्रकाशित की गई थी। ▪ मैसर्स आईएफसीआई लिमिटेड (एक सार्वजनिक वित्त संस्थान) को योजना के लिए पीएमए के रूप में चुना गया है।15 जून 2021 से 15 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। लाभार्थियों का चयन 3 नवंबर 2021 को अच्छी तरह से पूरा कर लिया गया था। ▪ प्राप्त सभी 52 आवेदनों के मूल्यांकन के बाद, ₹4,614 करोड़ के प्रतिबद्ध निवेश वाले 42 आवेदकों को पीएलआई योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में अनंतिम रूप से चुना गया है। ▪ चयनित आवेदकों में ₹3,898 करोड़ के प्रतिबद्ध निवेश सहित एयर कंडीशनर निर्माण के लिए 26 और ₹716 करोड़ के प्रतिबद्ध निवेश सहित एलईडी लाइट निर्माण के लिए 16 आवेदक शामिल हैं। **इस्पात मंत्रालय:** **विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना:** ▪ मंत्रिमंडल ने 22.07.2021 को ₹6322 करोड़ के परिव्यय पर विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			▪ योजना दस्तावेज 29.7.2021 को अधिसूचित किया गया था। योजना के दिशा-निर्देश भी 20 अक्टूबर, 2021 को प्रकाशित किए गए हैं। ▪ एक वर्ष के लिए स्थगन के संबंध में दिशा-निर्देशों में संशोधन दिनांक 24.12.2021 को प्रकाशित किया गया है। ▪ इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीपीएसई मेकॉन लिमिटेड को परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है। ▪ आवेदन प्रक्रिया 29.12.2021 से शुरू हो चुकी है। **दूरसंचार विभाग (डीओटी):** **दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना:** ▪ दूरसंचार विभाग ने 24.02.2021 को दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना को 5 वर्ष के लिए में ₹12,195 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय सहित अधिसूचित किया था। ▪ 4 जून से 3 जुलाई 2021 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ▪ डीओटी को 36 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 31 आवेदन पात्र पाए गए हैं। ▪ 14 कंपनियों ने उत्पादन शुरू कर दिया है।
10	41	कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए सक्षम बनाने, बड़े निवेश आकर्षित करने तथा रोजगार सृजन को तेज करने के लिए पीएलआई योजना के अतिरिक्त मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क (मित्रा) की एक योजना लांच की जाएगी। यह निर्यात में वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए प्लग और प्ले सुविधाओं के साथ विश्वस्तरीय अवसंचरना सृजित करेगी। 3 वर्षों की अवधि में 7 टैक्सटाईल पार्क स्थापित किये जायेंगे। **मंत्रालय/विभाग:** **वस्त्र**	▪ मंत्रिमंडल ने 2027-28 तक ₹4445 करोड़ के वित्तीय परिव्यय सहित7 पीएम मित्रपार्क स्थापित करने के लिए 06.10.2021 को पीएममेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्क की योजना को मंजूरी दी थी। ▪ पीएम मित्र पार्क योजना की अधिसूचना 21.10.2021 को जारी की गई है। ▪ अन्य मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से विस्तृत योजना दिशानिर्देश प्रक्रियाधीन हैं।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
11	45	अवसंरचना के लिए दीर्घावधिक ऋण वित्तपोषण अपेक्षित है। पेशेवर रूप से प्रबंधित विकास वित्तीय संस्था अवसंरचना वित्त पोषण के लिए एक प्रदाता, समर्थनकारी और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। तदनुसार, मैं डीएफआई स्थापित करने के लिए एक विधेयक पेश करूंगी। मैंने इस संस्था के पूंजीकरण के लिए ₹20 हजार करोड़ की धनराशि मुहैया की है। इरादा यह है कि इस डीएफआई के लिए तीन वर्षों के समय में कम से कम ₹5 लाख करोड़ का उधारी पोर्टफोलियो हो। **मंत्रालय/विभाग:** **वित्तीय सेवाएं**	▪ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट अधिनियम, 2021 को मार्च, 2021 में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की स्थापना के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रित डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (डीएफआई) के रूप में लागू किया गया है, - अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए आवश्यक बांड और डेरिवेटिव बाजारों के विकास और अवसंरचना के वित्तपोषण के कारोबार को आगे बढ़ाने सहित भारत में दीर्घावधिक गैर-साधन वाले अवसंरचनाके वित्तपोषण का समर्थन किया जा सके। ▪ अध्यक्ष की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है जबकि दो सरकारीनामित निदेशकों को डीएफआई के शीघ्र संचालन को सक्षम करने के लिए नामित किया गया है।
12	46	विदेशी पोर्टफोलियों निवेशकों द्वारा आईएनवीआईटी और आरईआईटी का ऋण वित्तपोषण संगत विधानों में उपयुक्त संशोधन करके पूरा किया जाएगा। इससे आईएनवीआईटी और आरईआईटी के लिए वित्त की पहुंच और आसान होगी जिसके फलस्वरूप अवसंरचना और स्थावर संपदा सेक्टरों के लिए निधियों में बढ़ोतरी होगी। **मंत्रालय/विभाग:** **आर्थिक कार्य**	▪ संशोधन 28 मार्च 2021 को अधिसूचित वित्त अधिनियम 2021 का हिस्सा हैं। फेमा विनियमनों में परिणामी संशोधनों को भी 13 अक्टूबर 2021 को अधिसूचित किया गया है। ▪ ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए पूल किए गए निवेश वाहनों (एआईएफ, आरईआईटी, इनविट आदि को शामिल करने के लिए परिभाषित) को शक्ति प्रदान करते हुएवित्त अधिनियम, 2021 में, प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम (एचसीआरए), 1956 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम 1992 में संशोधन किए गए हैं और एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 और आरडीबीअधिनियम, 1993 में परिणामी संशोधन किए गए हैं। इसके बाद, आईआरडीएआईने अपने परिपत्र दिनांक 22 अप्रैल, 2021, पीएफआरडीए ने अपनी अधिसूचना दिनांक 20 जुलाई, 2021 और आरबीआईने 13 अक्टूबर, 2021 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से घरेलू बीमा

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			कंपनियों, घरेलू पेंशन फंड और एफपीआईको क्रमशः इनविटऔर आरईआईटीद्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी है।
13	47	प्रचालित हो रही सार्वजनिक अवसंरचना आस्तियों का मुद्रीकरण नई अवसंचरना निर्माण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण वित्तपोषण विकल्प है। संभावित ब्रॉउनफील्ड अवसंरचना आस्तियों की एक "राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन" लांच की जाएगी। एक आस्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड भी प्रगति को ट्रैक करने के लिए और निवेशकों को देखने की सुविधा प्रदान करने हेतु सृजित किया जाएगा। मुद्रीकरण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं: (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पीजीसीआईएल में से प्रत्येक ने एक आईएनवीआईटी प्रायोजित की है जो अंतराष्ट्रीय तथा घरेलू संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करेगी। ₹5000 करोड़ के अनुमानित उद्यम मूल्य के साथ प्रचालित हो रही पांच सड़कें एनएचएआई आईएनवीआईटी को अंतरित की जा रही हैं। इसी तरह, ₹7 हजार करोड़ मूल्य की ट्रांसमिशन आस्तियां पीजीसीआईएल आईएनवीआईटी के लिए अंतरित की जाएंगी। (ख) रेलवे समर्पित भाड़ा कोरिडोर आस्तियों को, चालू होने के पश्चात प्रचालन और रखरखाव के लिए मुद्रीकृत करेगा।	**पैरा 47: नीति आयोग:** **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी):** मंत्रालयों और सक्षम अधिकारियों के परामर्श से केंद्रीय मंत्रालयों की आस्तियों के लिए पाइपलाइन को अंतिम रूप दिया गया था। खंड I और II में अंतिम एनएमपी (गाइडबुक और आस्तियों की पाइपलाइन को मिलाकर) माननीय वित्त मंत्री द्वारा 23.08.2021 को औपचारिक रूप से जारी किया गया था। राज्यों की आस्तियोंके लिए, 26 राज्यों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, 4 राज्यों से प्राप्त आस्तिपाइपलाइन प्राप्त किए गए हैं। एनएमपी परियोजनाओं को सार्वजनिक रूप से इन्वेस्ट इंडिया ग्रिड (आईआईजी) पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा, जो एनआईपी के साथ-साथ एनएमपी आस्तियों के लिए एकल मंच है। **आस्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड:** समग्र आस्तिमुद्रीकरण डैशबोर्ड का विकास पूरा किया गया है। डैशबोर्ड अब लाइव है और मंत्रालयों के अधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा आस्तिप्रविष्टियों के लिए उपलब्ध है। नामित नोडल अधिकारियों के लिए उपयोगकर्ता प्रोफाइल परिचालित की गई थी। मंत्रालय आस्तिप्रविष्टियां बना/अद्यतन कर रहे हैं। **पैरा 47 (क): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय:** ▪ 31.03.2021 को सेबी द्वारा दायर किए गए मसौदा प्लेसमेंट मेमोरेंडम (डीपीएम) पर सेबी की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। ▪ सूचीबद्ध के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। ▪ बैंक का ₹2,000 करोड़ का कर्ज है। ▪ कोविड 2.0 के कारण यातायात में कमी, जो जुलाई, 2021 की शुरुआत से शुरू हुई। ▪ मूल्य खोज के लिए आधिकारिक प्राप्त उच्च स्तरीय समिति ने मूल्य को ₹6012 करोड़ के

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
		(ग) विमान पत्तनों का आगामी लाट प्रचालनों और प्रबंधन रियायत के लिए मुद्रिकृत किया जाएगा। (घ) अन्य प्रमुख अवसंरचना आस्तियां जो मुद्रीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत रोल आउट की जाएंगी, वे हैं: (i) एनएचएआई प्रचालनात्मक टोल रोड (ii) पीजीसीआईएल की ट्रांसमिशन आस्तियां (iii) गेल, आईओसीएल तथा एचपीसीएल का तेल और गैस पाइपलाइनें (iv) टीयर II और III शहरों में एएआई विमानपत्तन (v) अन्य रेलवे अवसंरचना आस्तियां (vi) केन्द्रीय वेयरहाउसिंग निगम जैसे लोक उद्यम वेयरहाउसिंग आस्तियां तथा नेफेड, इत्यादि और (vii) खेल स्टेडियम। **मंत्रालय/विभाग:** **नीति आयोग,** **सड़क परिवहन और राजमार्ग,** **विद्युत,** **रेलवे,** **नागर विमानन**	रूप में अंतिम रूप दिया है। प्लेसमेंट ज्ञापन (पीएम) 26.10.2021 को सेबी में दायर किया गया। ▪ बाजार निर्गम 29.10.2021 को खुला और 02.11.2021 को बंद हुआ; वर्तमान बंडल के अंतर्गत प्राप्त निधि ₹6012 करोड़ है। ▪ निर्गम के बंद होने के बाद, इकाइयां जारी की गईं और 15.11.2021 को सेबी के साथ अंतिम प्लेसमेंट ज्ञापन दायर किया गया। सभी 5 वर्गों के लिए शुल्क अधिसूचना प्रकाशित की गई है। ▪ रियायती अनुबंध के अनुसार वित्तीय समापन के लिए दस्तावेज 09.12.2021 को और वित्तीय समाप्ति की तारीख 09.12.2021 को घोषित किया गया है। ▪ ₹7350.40 करोड़ के रियायत शुल्क का संवितरण (जिसमें छूटग्राही द्वारा लिया गया ₹2000 करोड़ का कर्ज भी शामिल है) एनएचएआई को 14.12.2021 को प्राप्त हुआ था। ▪ नियत तिथि 16.12.2021 को 00.00 बजे घोषित की गई है। (अर्थात, मध्यरात्रि 15/16 दिसंबर, 2021)। ▪ इनविट के तहत बंडल-II की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। **पैरा 47 (क): विद्युत मंत्रालय:** ▪ पावरग्रिड ने वित्त वर्ष 2021-22 में पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (पीजीआईएनवीआईटी) के माध्यम से अपने 05 टीबीसीबी एसपीवी अर्थात्पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीवीटीएल), पावरग्रिड काला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीकेएटीएल), पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीपीटीएल), पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीडब्ल्यूटीएल) और पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीजेटीएल), का मुद्रीकरण कर लिया है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			▪ इस लेनदेन के माध्यम से पावरग्रिड ने उपरोक्त 5 एसपीवी में धारित पारेषण आस्तियों का मुद्रीकरण किया और प्रत्येक एसपीवी में 74% इक्विटी धारित को पीजीआईएनवीआईटी में स्थानांतरित किया। शेष 26% को भी ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट के अनुसार लॉक-इन अवधि के पूरा होने के बाद उत्तरोत्तर स्थानांतरित किया जाएगा। हस्तांतरण के विचारानुसारपावरग्रिड को ₹7,735 करोड़ और 13.65 करोड़ इकाइयाँ प्राप्त हुईं जो कुल पोस्ट ऑफर इकाइयों का 15% है, जिसे सेबी इनविट विनियमनों के अनुसार न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। ▪ पीजीआईएनवीआईटी द्वारा जारी इकाइयों को 14 मई, 2021 को एनएसईऔर बीएसई में सूचीबद्ध किया गया था। **पैरा 47 (ख): रेल मंत्रालय:** ▪ पश्चिमी डीएफसी और पूर्वी डीएफसी के पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद डीएफसी के मुद्रीकरण की योजना बनाई गई है। **पैरा 47 (ग): नागरिक उड्डयन मंत्रालय:** ▪ पीपीपी मॉडल पर पट्टे पर देने के लिए एएआई बोर्ड द्वारा 6 (छः) चुनिंदा हवाई अड्डों - वाराणसी, अमृतसर, भुवनेश्वर, रायपुर, इंदौर और त्रिची के साथ-साथ 7 (सात) छोटे हवाई अड्डों की सिफारिश की गई है। ▪ कैबिनेट नोट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। **पैरा 47 (घ):** **नीति आयोग:** ▪ अवसंरचना मंत्रालयों के लिए नीति आयोग द्वारा आस्तियों की क्षेत्रवार पाइपलाइन तैयार की गई है। ▪ आस्ति मुद्रीकरण के लिए सचिवों के कोर ग्रुप (सीजीएएम) के स्तर पर प्रत्येक मंत्रालय के

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			लिए वार्षिक लक्ष्यों वाले एनएमपी को अंतिम रूप दिया गया है। सीजीएएम की बैठक में चालू वर्ष वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए विशिष्ट लक्ष्यों के लिए कार्यान्वयन रणनीति और कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई और विचार-विमर्श किया गया। ▪ संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अपनी-अपनी पहचान की गई आस्तियों के मुद्रीकरण लेनदेन में तेजी लाने के लिए। ▪ आस्तियों, निवेश संरचनाओं और की गई प्रगति की नियमित और निकट निगरानी - प्रगति की निकट से निगरानी करने के लिए मंत्रालयों/सीपीएसई के साथ नियमित अंतराल पर समीक्षा करें। निरंतर आधार पर हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सीजीएएम (कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में) की बैठकें। **विद्युत मंत्रालय:** पावरग्रिड की वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लगभग ₹7,500 करोड़ की पूंजीगत व्यय योजना है और इसने चालू वर्ष के दौरान मुद्रीकरण के माध्यम से ₹7,735 करोड़ जुटाए हैं। **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय:** ▪ एनएचएआई ने टोल संचालन और हस्तांतरण (टीओटी) मॉडल के माध्यम से आस्ति मुद्रीकरण पहल शुरू की थी। स्थिर और संचालित परियोजनाओं को एक अग्रिम रियायत शुल्क भुगतान के खिलाफ 15-30 वर्षों के लिए संचालन, रखरखाव और टोल संग्रह के लिए निजी क्षेत्र को बंडलों में दिया जाता है। ▪ इन बंडलों पर लंबी अवधि के वैश्विक रणनीतिक और वित्तीय निवेशकों के लिए बोली लगाई जा रही है, जिसमें पेंशन और सॉवरेन फंड, बीमा कंपनियों, आस्ति प्रबंधकों आदि द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म शामिल हैं। ▪ अब तक, चार बंडलों में टीओटी मोड के माध्यम से 20 हिस्सों (1407 किलोमीटर) का मुद्रीकरण किया जा चुका है, अर्थात टीओटी

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			बंडल 1, बंडल 3, बंडल 5क1 और बंडल 5क2। ₹15,703 करोड़ की राशि पहले ही वसूल की जा चुकी है और सीएफआई को भेजी जा चुकी है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में ₹1,251 करोड़ की राशि मिलने की संभावना है।टीओटी बंडल-2 और 4 को क्रमशः प्रारंभिक अनुमानित रियायत मूल्य (आईईसीवी) से अधिक बोली 14% कम होने और आईईसीवी के गैर-प्रकटीकरण के निर्णय के अनुसार रद्द कर दिया गया था।इसके अलावा 3 टीओटी बंडल 6, 7 और 8 (5 हिस्सों जैसे आगरा बाईपास; शिवपुरी-झांसी; ईपीई; बोरखेड़ी-मह/तेलंगाना सीमा; और भुवनेश्वर-पुरी, जिसकी कुल लंबाई 436 किमी है) के लिए बोलियां 19.08.2021, 27.08.2021 (विस्तारित बोली देय तिथि 20.01.2022) को आरएफपी के माध्यम से आमंत्रित की गईं। **रेल मंत्रालय:** **निजी ट्रेन संचालन:** बोलियां 23.07.2021 को शुरू की गईं। कुल 5 बोलियाँ 3 (तीन) समूहों के लिए प्राप्त हुईं और शेष 9 (नौ) समूहों के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।सक्षम प्राधिकारी ने निविदा के निर्वहन हेतु निविदा समिति की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया है। **स्टेशन विकास:** गांधीनगर स्टेशन और रानी कम्पलापति (पहले हबीबगंज) चालू हो गए हैं और एसएनवीटी बेंगलुरु स्टेशन चालू होने के लिए तैयार है।अयोध्या, गोमती नगर, बिजवासन, अजनी और सफदरजंग स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य प्रगति पर है। उपरोक्त के अलावा 38 स्टेशनों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है। आईआरएसडीसी बोर्ड के पत्र दिनांक दि. 18.10.2021 द्वारा बंद है। **भूमि मुद्रीकरण:** आरएलडीए 111 रेलवे भूमि पार्सल, 84 रेलवे कॉलोनियों, दार्जिलिंग में 04 हिल रेलवे, कालका-शिमला, माथेरान और नीलगिरी, करनाल सिंह

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			स्टेडियम और 15 अन्य स्टेडियमों और 84बहु-कार्यात्मक परिसर (एमएफसी) की पहचान की गई रेलवे आस्तियों के मुद्रीकरण के लिए शामिल है। 13 एमएफसी पूरे हो चुके हैं और शेष विभिन्न चरणों में हैं। **कॉनकॉर विनिवेश:** भारत सरकार कॉनकॉर में अपनी इक्विटी के रणनीतिक विनिवेश पर विचार कर रही है, जिसके लिए डीआईपीएएम ने कॉनकॉर में 30.8% इक्विटी के प्रारंभिक विनिवेश के लिए सलाहकार नियुक्त किए हैं। ईओआई जारी करना इस प्रक्रिया का अगला चरण है जो रेलवे की प्रस्तावित भूमि लाइसेंस नीति को अंतिम रूप देने के बाद जारी किया जाएगा। **नागरिक उड्डयन मंत्रालय:** ▪ पीपीपी मॉडल पर पट्टे पर देने के लिए एएआई बोर्ड द्वारा 6 (छः) चुनिंदा हवाई अड्डों - वाराणसी, अमृतसर, भुवनेश्वर, रायपुर, इंदौर और त्रिची के साथ-साथ 7 (सात) छोटे हवाई अड्डों की सिफारिश की गई है। ▪ कैबिनेट नोट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। **कृषि और किसान कल्याण विभाग:** ▪ नेफेड, हालांकि एक सीपीएसई नहीं है, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत सहकारी समितियों, एफपीओ और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में गोदामों / भण्डारों, कोल्ड स्टोरेज और प्याज भंडारण संरचनाओं की स्थापना करके देश भर में अपनी विभिन्न अवसंरचना आस्तियों का मुद्रीकरण करने की योजना बना रहा है। ▪ इस उद्देश्य के लिए, नेफेड वित्त वर्ष-2021-22 में निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य करेगा: क) नेफेड के खाली पड़े भूखंडों पर लगभग 9 करोड़ रुपये की लागत और अन्य पार्टियों को इसका उपयोग से15,000 मीट्रिक टन आधुनिक गोदामों का विकासकरने के लिए आमंत्रित करके इसका मुद्रीकरण।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			ख) मार्च, 2022 तकलगभग ₹400 करोड़ की लागत से एनएएफईडीकी खाली जमीन का मुद्रीकरण करके सेब के लिए प्री-कंडीशनिंग, प्रोसेसिंग, रीफर ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के साथ 15,000 मीट्रिक टन कोल्ड चेन प्रोजेक्ट का निर्माण। ग) लगभग ₹125 करोड़ की लागत से नेफेड की खाली भूमि का मुद्रीकरण करके, मार्च 2022 तक प्याज के लिए 25,000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज के निर्माण करना। घ) कार्यान्वयन के लिए निजी भागीदारों का चयन निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। **खेल विभाग:** ▪ 8 फरवरी, 2021 को आयोजित सीजीएएम बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, मंत्रालय ने मुद्रीकरण के लिए निम्नलिखित चार आस्तियों की पहचान की है: 1. जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली 2. इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर, नई दिल्ली 3. साई क्षेत्रीय केंद्र, बेंगलुरु 4. साई क्षेत्रीय केंद्र, जीरकपुर। ▪ युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, 10.07.2021 को, पीपीपी आधार पर जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली के विकास के लिए लेनदेन सलाहकार की नियुक्ति के लिए पहले ही आरएफपी जारी कर चुका है। ▪ प्राप्त बोलियां 29.10.2021 को शुरू की गई हैं और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। ▪ 2 एसएआईक्षेत्रीय केंद्रों (आरसी) का आस्ति मुद्रीकरण अर्थातसाई आरसी, बेंगलुरु और एसएआईआरसीज़िरकापुर, साईने 28.08.2021 को PPP के माध्यम से ज़ीरकपुर, पंजाब और बेंगलुरु, कर्नाटक में एसएआई क्षेत्रीय केंद्र में पहचाने गए भूमि पार्सल के पुनर्विकास के लिए लेनदेन सलाहकार के चयन के लिए एक आरएफपी जारी किया। ▪ प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन किया गया और लेनदेन सलाहकार नियुक्त किया गया है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग: ▪ सीडब्ल्यूसी, एफसीआई और सीआरडब्ल्यूसी के संबंध में नीति आयोग द्वारा जारी4 वर्षों के लिए आस्ति मुद्रीकरण निजी निवेश जुटाने का लक्ष्य ₹28,900 करोड़ है। ▪ एफसीआई द्वारा लेनदेन सलाहकार की नियुक्ति की गई है। टीए अब आस्ति मुद्रीकरण के तौर-तरीकों की जांच कर रहा है जिसके आधार पर प्रत्येक श्रेणी के मौद्रिक मूल्य को बाद में वित्तीय मॉडल के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। कुल ₹775.38 करोड़ (सीडब्ल्यूसी: 188 करोड़, एफसीआई: 587.38 करोड़;) निजी क्षेत्र के निवेश का लाभ उठाया गया है। ▪ 15/12/2021 को आयोजित एसएफसी बैठक। इसमें यह निर्णय लिया गया कि एफसीआई प्रत्येक स्थान, एक एकल परियोजना (निष्पादन के दौरान दक्षता, प्रौद्योगिकी, वित्त पोषण और प्रभावी निगरानी तंत्र लाने के लिए) पर विचार करने के बजाय उचित आकार में साइलो परियोजनाओं को बंडल करने के लिए काम करेगा। ▪ तदनुसार, मंत्रालय में एफसीआई से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त किया जाना है। **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय:** ▪ पीपीपीएसी ने 27.08.2021 को आयोजित अपनी बैठक में सैद्धांतिक अनुमोदन की सिफारिश की। गेल द्वारा नियुक्त लेनदेन सलाहकार की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इसकी जांच की जा रही है।
14	48	बजट अनुमान 2020-21 में, हमने पूंजीगत व्यय के लिए ₹4.12 लाख करोड़ प्रदान किए थे। हमारा यह प्रयास था कि संसाधनों की कमी के बावजूद हमें पूंजी पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय करना चाहिए और हम वर्ष के अंत तक लगभग `4.39 लाख करोड़ खर्च करने की उम्मीद रखते हैं,	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को बजट 2021-22 में आवंटन किया गया है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
		जिसे मैंने संशोधित अनुमान 2020-21 में प्रदान किया है। 2021-22 के लिए, मैं पूंजीगत व्यय में तीव्र वृद्धि का प्रस्ताव करती हूँ और इस प्रकार ₹5.54 लाख करोड़ प्रदान किए हैं जो 2020-21 के बजट अनुमान से 34.5 प्रतिशत अधिक है, इसका, मैंने परियोजनाओं/कार्यक्रमों/विभागों के लिए प्रदान किये जाने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट शीर्ष में ₹44 हजार करोड़ से अधिक राशि रखी है जो पूंजीगत व्यय पर अच्छी प्रगति दर्शाती है तथा और अधिक निधियों की आवश्यकता है। इस व्यय के अतिरिक्त, हम राज्यों और स्वायत्त निकायों को उनके पूंजीगत व्यय के लिए ₹2 लाख करोड़ से अधिक की राशि भी प्रदान करेंगे। **मंत्रालय/विभाग:** **व्यय**	
15	49	हम अवसंरचना के सृजन पर अपने बजट में अधिक खर्च करने के लिए राज्यों को प्रेरित करने के लिए विशिष्ट तंत्र भी तैयार करेंगे। **मंत्रालय/विभाग:** **व्यय**	▪ राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता की योजना जो 2020-21 में पहले ही शुरू हो चुकी है, को मामूली बदलावों के साथ 2021-22 में जारी रखने का प्रस्ताव है। ▪ राज्यों को 29 अप्रैल, 2021 को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। ▪ राज्यों को जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत की उधार अनुमति को वृद्धिशील पूंजीगत व्यय से जोड़ा गया है जिसके लिए 31.03.2021 को राज्यों को विस्तृत सूचना भेजी जा चुकी है।
16	50	₹3.3 लाख करोड़ की लागत से, 13,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के सड़कों का भारत माला परियोजना के अंतर्गत ₹5.35 लाख करोड़ का ठेका पहले ही दे दिया गया है जिसका 3,800 किलोमीटर निर्मित हो	• दिसंबर 2021 तक, कुल 574 सड़क परियोजनाओं में 19,926 किलोमीटर की लंबाई शामिल है, जिसकी कुल पूंजीगत लागत ₹5.98 लाख करोड़ है और 6,976 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। • 2021-22 तक संचयी लक्ष्य 20,500 किलोमीटर

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
		गया है। मार्च 2022 तक, हम दूसरे 8,500 कि. मी. का ठेका देंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के 11 हजार किलोमीटर को पूर्ण करेंगे। **मंत्रालय/विभाग:** **सड़क परिवहन और राजमार्ग**	आवंटन के लिए और 7,700 किलोमीटर निर्माण के लिए है।
17	51	(क) ₹1.03 लाख करोड़ के निवेश से तमिलनाडु राज्य में 3500 कि. मी. के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य। इनमें मदुरई - कोल्लम कोरिडोर, चित्तूर-थैयचूर कोरिडोर शामिल हैं। निर्माण कार्य आगामी वर्ष में आरंभ होगा। (ख) केरल में मुम्बई-कन्याकुमारी कोरिडोर के 600 किलोमीटर सेक्शन सहित ₹65000 करोड़ के निवेश से केरल राज्य में 1100 कि. मी. राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य (ग) मौजूदा सड़क - कोलकाता-सिलीगुड़ी के उन्नयन सहित ₹25,000 करोड़ की लागत से पश्चिम बंगाल राज्य में 6,75 कि. मी राजमार्ग का निर्माण कार्य। (घ) असम राज्य में इस समय लगभग ₹19,000 हजार करोड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के 1300 कि. मी. से अधिक को कवर करते हुए ₹34,000 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्य आगामी तीन वर्षों में राज्य में निष्पादित किये जायेंगे **मंत्रालय/विभाग:** **सड़क परिवहन और राजमार्ग**	पैरा 51 (क): अतिरिक्त निवेश के साथ, एमओआरटीएचतमिलनाडु में आवंटन और निर्माण में और सुधार करने की योजना बना रहा है। ▪ ₹50,578 करोड़ की कुल पूंजी लागत के साथ 2,214 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का काम चल रहा है। ▪ ₹2,054 करोड़ की कुल पूंजी लागत के साथ 125 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का काम पूरा कर लिया गया है। ▪ इसके अतिरिक्त, 2,936 किमी की लंबाई और ₹94,582 करोड़ की कुल पूंजीगत लागत वाली परियोजनाओं को 2024-25 तक प्रदान करने की योजना है। ▪ चित्तूर-थैचूर कॉरिडोर - एचएएम मोड के लिए बोलियां प्राप्त कर ली गई हैं और सितंबर, 2021 में प्रदान की गई हैं। कार्य फरवरी 22 तक शुरू किया जाएगा। ▪ मदुरै - कोल्लम कॉरिडोर - अप्रैल, 2022 के लक्ष्य के साथ शीघ्र ही प्राप्त होने वाली देय बोलियां। पैरा 51 (ख): अतिरिक्त निवेश के साथ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयकेरल में आवंटन और निर्माण में अधिक सुधार करने की योजना बना रहा है। ▪ कुल ₹45,665 करोड़ की पूंजीगत लागत के साथ 632 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का काम चल रहा है। ▪ इसके अतिरिक्त, 926 किमी लंबी और ₹37,544 करोड़ की कुल पूंजीगत लागत वाली

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			परियोजनाओं को 2024-25 तक आवंटित करने की योजना है। ▪ मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडोर-कुल लंबाई 515 कि.मी. आवंटित की गई। इसके अतिरिक्त, मार्च 22 तक 68 किमी का आवंटन किया जाएगा। पैरा 51 (ग): अतिरिक्त निवेश के साथ, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयपश्चिम बंगाल में आवंटन और निर्माण में और सुधार करने की योजना बना रहा है। ▪ ₹321 करोड़ की कुल पूंजी लागत के साथ 21 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का काम पूरा कर लिया गया है। ▪ ₹28,599 करोड़ की कुल पूंजी लागत के साथ 1,194 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का काम चल रहा है। ▪ इसके अतिरिक्त, 1,585 किमी की लंबाई और ₹40,617 करोड़ की कुल पूंजीगत लागत वाली परियोजनाओं को 2024-25 तक आवंटित करने की योजना है। ▪ कोलकाता-सिलीगुड़ी कॉरिडोर - भारतमाला परियोजना से पहले 279 किमी सड़क का निर्माण। इसके अतिरिक्त, 128 किमी निर्माणाधीन है और इसे पूरा करने का लक्ष्य फरवरी'23 है। पैरा 51 (घ): अतिरिक्त निवेश के साथ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयअसम में आवंटन और निर्माण को और बेहतर बनाने की योजना बना रहा है। ▪ ₹186.7 करोड़ की कुल पूंजी लागत के साथ 20.4 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का काम पूरा कर लिया गया है। ▪ ₹22,754 करोड़ की कुल पूंजी लागत के साथ 743 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का काम चल रहा है। ▪ इसके अतिरिक्त, 1,780 किमी की लंबाई और ₹41,100 करोड़ की कुल पूंजीगत लागत वाली

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			परियोजनाओं को 2024-25 तक आवंटित करने की योजना है। ▪ ईटानगर तक4-लेन कनेक्टिविटी - ₹4,784 करोड़ की लागत वाली167 किमी की कुल लंबाई आवंटित की गई और 100 किमी का कार्य पूरा हो गया। मार्च 23 तक शेष राशि की लंबाई पूरी कर ली जाएगी। ▪ नुमालीगढ़ - डिब्रूगढ़ को 4-लेन का बनाना ₹4,017 करोड़ की लागत वाली- 183 किमी की लंबाई के पैकेज का आवंटन और 102 किमी का निर्माण पूरा हो गया है। मार्च 23 तक शेष राशि की लंबाई पूरी कर ली जाएगी
18	52	कुछ फ्लैगशिप कोरिडोर और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनमें 2021-22 में पर्याप्त कार्यकलाप दिखाई देंगे; निम्नलिखित हैं: फ्लैगशिप परियोजनाएः सड़क एवं राजमार्ग प्रमुख एक्सप्रेसवे/कोरिडोर • दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेः 31.3.2021 के पहले शेष 260 किमी. का अवार्ड दिया जाएगा। • बेंगलुरू-चेन्नई एक्सप्रेसवेः 275 किमी. चालू वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाएगा। निर्माण 2021-22 में शुरू होगा। • दिल्ली-देहरादून इकोनोमिक कोरिडोरः 210 किमी. कोरिडोर चालू वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाएगा। निर्माण 2021-22 में शुरू होगा। • कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवेः एनएच 27 के लिए वैकल्पिक मार्ग सुलभ कराने वाला 63 किमी. एक्सप्रेसवे 2021-22 में शुरू किया जाएगा। • चेन्नई-सलेम कोरिडोरः 277 किमी. एक्सप्रेसवे का अवार्ड दिया जाएगा	**दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे:** ▪ इस एक्सप्रेसवे की कुल पूंजीगत लागत ₹**98,300** करोड़ है**,** जिसमें दिल्ली-वडोदरा खंड के लिए ₹**48,472** करोड़ और वडोदरा-मुंबई खंड के लिए ₹**49,828** करोड़ शामिल हैं। ▪ कुल **1,380** किलोमीटर लंबाई में से **1,337** किलोमीटर लम्बाई निर्माण के लिए आवंटित की गई है**,** जिसमें से **887** किलोमीटर निर्माणाधीन और **450** किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है। ▪ शेष **43** किलोमीटर की लंबाई भूमि अधिग्रहण के उन्नत चरणों में है और मार्च**, 2022** तक इसे आवंटित करने का लक्ष्य है। ▪ कॉरिडोर के दो खंड**,** सोहना से लालसोत खंड (दिल्ली-जयपुर) (**214** किमी) और वडोदरा से अंकलेश्वर (भरूच) खंड (**100** किमी) को मार्च**, 2022** तक पूरा करने और सार्वजनिक यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है। **बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे:** ▪ इस एक्सप्रेसवे की कुल पूंजीगत लागत ₹**16,730** करोड़ है। ▪ **262** किमी के पूरे कॉरिडोर को सितंबर**'21** के महीने में आवंटित किया गया है। निर्माण

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
		और निर्माण 2021-22 में शुरू होगा। • रायपुर-विशाखापत्तनमः छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के रास्ते गुजरने वाले 464 किमी. का अवार्ड चालू वर्ष में दिया जाएगा। • अमृतसर-जामनगरः निर्माण 2021-22 में शुरू होगा। • दिल्ली-कटराः निर्माण 2021-22 में शुरू होगा। चार लेन और छह लेन के सभी नए राजमार्गों में स्पीड रडार, परिवर्तनशील संदेश साइनबोर्ड, जीपीएस समर्थित रिकवरी वाहनों के साथ उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली संस्थापित की जाएगी। **मंत्रालय/विभाग:** **सड़क परिवहन और राजमार्ग**	कार्य वित्त वर्ष **24-25** तक पूरा करने का लक्ष्य है। **दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा:** ▪ इस एक्सप्रेसवे की कुल पूंजी लागत ₹**17,146** करोड़ है ▪ अब तक, कॉरिडोर की **329** किमी की पूरी लंबाई में से, **220** किमी निर्माण के लिए आवंटित किया गया है। ▪ शेष लंबाई अप्रैल, **2022** तक आवंटित किए जाने की संभावना है, जिसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष **2024-25** तक पूरा करने का लक्ष्य है। **कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे:** ▪ एक्सप्रेसवे की कुल पूंजीगत लागत ₹**4,183** करोड़ है। ▪ अब तक, कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के लिए बोलियां आमंत्रित की जा चुकी हैं और भूमि अधिग्रहण उन्नत चरण में है। ▪ **63** किमी लंबे एक्सप्रेसवे को फरवरी, **2022** तक आवंटित किए जाने और **2024-25** तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। **चेन्नई-सेलम गलियारा:** ▪ एक्सप्रेसवे की कुल पूंजीगत लागत ₹**9,681** करोड़ है। ▪ **277** किलोमीटर का प्रमुख चेन्नई सेलम कॉरिडोर पूर्व-निर्माण चरण में है, जिसमें माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार उचित विकल्पों का विश्लेषण और निर्माण करने के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) जैसे अध्ययन किए गए हैं। **रायपुर-विशाखापत्तनम:** ▪ इस एक्सप्रेसवे की कुल पूंजीगत लागत ₹**16,102** करोड़ है। ▪ कुल **464** किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में से **356** किलोमीटर के लिए परियोजनाएं पहले ही आवंटित की जा चुकी हैं।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			▪ शेष लंबाई को वित्त वर्ष **2021-22** तक आवंटित करने का लक्ष्य है और कार्यों को **2024-25** तक पूरा करने का लक्ष्य है। **अमृतसर-जामनगर:** ▪ इस एक्सप्रेसवे की कुल पूंजीगत लागत अमृतसर भटिंडा खंड के लिए ₹**4,000** करोड़ और सांचोर संतलपुर खंड के लिए ₹**18,500** करोड़ है। ▪ संगरिया से संतलपुर तक **762** किमी के पूर्ण ग्रीनफील्ड खंड और भटिंडा से संगरिया तक **63** किमी ब्राउनफील्ड खंड को चरणबद्ध तरीके से लक्ष्य पूरा करने की समय-सीमा प्रदान की गई है। ▪ बीकानेर से पचपदरा तक **277** किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के पहले चरण को मार्च**, 2022** तक पूरा करने और यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य है। ▪ अब तक**, 260** किमी से अधिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा चुका है। **155** किलोमीटर के अमृतसर-भटिंडा खंड को वर्तमान वित्त वर्ष **2021-22** में आवंटन के लिए और वित्त वर्ष **24-25** तक यातायात के लिए खोलना लक्षित किया गया है। **दिल्ली-कटरा:** ▪ इस एक्सप्रेसवे की कुल पूंजीगत लागत ₹**39,500** करोड़ रुपये है। ▪ दो चरणों में कार्यान्वित किया गया, चरण **I** में दिल्ली से गुरदासपुर तक, अमृतसर और गुरदासपुर से जम्मू कश्मीर में कटरा सहित चरण 2 में, 670 किमी की कुल कॉरीडोर की लंबाई के साथ, शेष हिस्सों को वित्त वर्ष 2021-22 में किए जाने के साथ 580 किमी. किए जा चुके हैं। ▪ समग्र कॉरिडोर को वित्त वर्ष **2024-25** तक पूरा करने का लक्ष्य है। ▪ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में उन्नत

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			यातायात प्रबंधन प्रणाली (एटीएमएस) लागू की जा रही है। ▪ एनएचएआई दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (लंबाई **60** किमी) पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली भी चला रहा है। एएनपीआर प्रणाली का ट्रायल पूरा हो चुका है। उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह जल्द ही शुरू होने की संभावना है। ▪ इन राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के पूरा होने पर सभी एक्सप्रेसवे और एक्सेस नियंत्रित राजमार्गों पर एटीएमएस चालू कर दिया जाएगा। **2022-23** तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को जीपीएस युक्त रिकवरी वैन/एम्बुलेंस से कवर किया जाएगा।
19	53	मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ₹1,18,101 लाख करोड़ का बढ़ा हुआ परिव्यय भी प्रदान कर रही हूं जिसमें से पूंजी के लिए ₹1,08,230 करोड़ हैं जो अब तक का सर्वाधिक है। **मंत्रालय/विभाग:** **सड़क परिवहन और राजमार्ग**	▪ 2020-21 (ब.अ.) में, आवंटन ₹1,56,823 करोड़ (₹91,823 करोड़ बजटीय परिव्यय और आईईबीआर का ₹65,000 करोड़) था। ▪ सड़क अवसंरचना के लिए सरकार के जोर को ध्यान में रखते हुए 2020-21 (सं.अ.) में बजटीय आवंटन में ₹10,000 करोड़ की और वृद्धि की गई; तदनुसार, संशोधित अनुमान 2020-21 में कुल परिव्यय ₹1,66,823 करोड़ था। ▪ इसके अलावा 2021-22 (ब.अ.) में, आईईबीआर के अधीनकुल आवंटन को 2020-21 (ब.अ.) की तुलना में लगभग 16.75% बढ़ाकर ₹1,83,101 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें ₹1,18,101 करोड़ का बजटीय परिव्यय और ₹65,000 करोड़ का बजटीय परिव्यय शामिल है। ▪ केपेक्समें 2020-21 (ब.अ.) परिव्यय में ₹1,46,975 करोड़ की वृद्धि लगभग 18% तक 2021-22 (ब.अ.) में ₹1,73,230 करोड़ है।
20	54	भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना - 2030 तैयार की है। इस	▪ राष्ट्रीय रेल योजना (एनआरपी) का उपयोग पहले से ही परियोजनाओं को सुपर

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
		योजना को 2030 तक 'भविष्य के लिए तैयार' रेलवे तंत्र सृजित करना है। **मंत्रालय/विभाग:** **रेल**	क्रिटिकल/क्रिटिकल के रूप में प्राथमिकता देने और समय सीमा तय करने में किया जा रहा है। ▪ विजन 2024 को सुपर क्रिटिकल/क्रिटिकल परियोजनाओं के निष्पादन के लिए एनआरपी के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। ▪ एनआरपी ने नए डीएफसी कॉरिडोर के औचित्य पर भी जोर दिया है जिसके लिए सर्वेक्षण चल रहा है। ▪ इसके अलावा, एनआरपी 2030 तक पूरी की जाने वाली परियोजनाओं की एक पाइपलाइन बिछाता है और जो एनआरपी में प्रदान की गई समय सीमा के अनुसार भविष्य के बजट में शामिल करने की प्रक्रिया में हैं।
21	55	हमारे उद्योग के लिए परिवहन लागत को कम करना 'मेक इन इंडिया' को समर्थ बनाने के लिए हमारी रणनीति का मुख्य बिन्दु है। यह संभावना है कि पश्चिमी समर्पित भाड़ा कोरिडोर (डीएफसी) और पूर्वी डीएफसी जून 2022 तक चालू हो जाएगा। निम्नलिखित अतिरिक्त पहल प्रस्तावित हैः (क) 2021-22 में पूर्वी डीएफसी का सोननगर - गोमो खण्ड (263.7) कि. मी. पीपीपी मोड में शुरू किया जाएगा 274.3 कि. मी. का गोमो - दानकुनी खण्ड भी इसके तत्काल बाद शुरू किया जाएगा। (ख) हम भावी समर्पित भाड़ा कोरिडोर परियोजनाओं को निष्पादित करेंगे नामतः खडगपुर से विजयवाड़ा तक पूर्वी तट कोरिडोर, भुसावल से खडगपुर से दानकुनी तक पूर्वी पश्चिमी कोरिडोर और इटारसी से विजयवाड़ा तक उत्तर दक्षिण कोरिडोर। प्रथम चरण में विस्तृत परियोजना रिर्पोटें निष्पादित की जाएंगी। (ग) विद्युतीकृत ब्रॉडगेज रूट किलोमीटर (आरकेएम) के 46,000 आरकेएम अर्थात 1	▪ मंत्रालय ने परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। ▪ मार्च, 2021 तक कुल 2843 रूट किमी में से कुल 1110 किमी चालू हो गए। जून, 2022 तक चरणों में शेष राशि को खंड-वार चालू किया जाना है। **(क) सोननगर-गोमोह खंड:** पीपीपीएसी की स्वीकृति 27.12.2021 को प्राप्त हुई। (ख) डीपीआर कार्य 04-12-2020 को प्रदान किया गया। प्राथमिक रिपोर्ट जनवरी 2022 तक लक्षित हैं, जिसमें एफआईआरआर और ईआईआरआर और अक्टूबर 2022 तक अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होना शामिल हैं। ग) 31.12.2021 तक कुल 47,807 (73.90%) मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
		अक्टूबर 2020 को 41,548 आरकेएम से 2021 के अंत तक 72 प्रतिशत विस्तार तक पहुंचने की संभावना है। ब्रॉडगेज रूटों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। **मंत्रालय/विभाग:** **रेल**	
22	56 (a)	यात्री सुविधा और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित हैः क. हम यात्रियों के लिए एक बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटक रूटों पर सौन्दर्यपरक रूप से डिजाइन किए गए बिस्टाडोम एलएचवी कोच आरंभ करेंगे। ख. गत कुछ वर्षों में किए गए सुरक्षा उपायों के परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस प्रयास को और सुदृढ़ करने के लिए, भारतीय रेलवे के उच्च घनत्व नेटवर्क और उच्च उपयोग किये गए नेटवर्क रूटों को देसी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली प्रदान की जाएगी जो मानवीय त्रुटि के कारण ट्रेन टकराने को समाप्त करेगी। ग. मैं रेलवे के लिए ₹1,10,055 करोड़ की एक रिकार्ड राशि प्रदान कर रही हूँ जिसमें ₹1,07,100 पूंजीगत व्यय के लिए है। **मंत्रालय/विभाग:** **रेल**	क. 31.12.2021 तक (31.12.2021 तक2020-21 में 7 और 2021-22 में 13) 20 एलएचबी विस्टाडोम डिब्बों का निर्माण किया जा चुका है। ख. सक्षम प्राधिकारी द्वारा 23215 आरकेएम कार्य अनुमोदित किया जा चुका है।
23	57	हम मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार और सिटी बस सेवा की वृद्धि के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन के हिस्से को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की	ईएफसी मेमो को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
		वृद्धि के समर्थन के लिए ₹18,000 करोड़ की लागत पर एक नई योजना लांच करेंगे। यह योजना 20,000 से अधिक बसों के लिए वित्त, अर्जन, प्रचालन और रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र के प्लेयरों को सक्षम बनाने के लिए नवप्रवर्तनकारी पीपीपी माडलों की तैनाती को सुकर बनाएगी। यह योजना आटोमोबाइल सेक्टर को संवर्धित करेगी, आर्थिक समृद्धि में तेजी लाएगी, हमारे युवाओं के लिए रोजगार अवसर सृजित करेगी और शहरी निवासियों के आवागमन की सुविधा को बढ़ायेगी। **मंत्रालय/विभाग:** **आवासन और शहरी कार्य**	
24	58	कुल 702 कि. मी. परम्परागत मेट्रो प्रचालन में हैं तथा और 1,016 कि. मी. मेट्रो और आरआरटीएस 27 शहरों में निर्माणाधीन है। दो नई प्रौद्योगिकियां अर्थात् 'मेट्रोलाइट' और 'मेट्रोनियो' समान अनुभव, सुविधा के साथ अपेक्षाकृत कम लागत पर मेट्रो रेल तंत्र प्रदान करने के लिए तथा टीयर-2 शहरों में सुरक्षा तथा टीयर-1 शहरों के परिधि क्षेत्रों में तैनात की जाएगी। **मंत्रालय/विभाग:** **आवासन और शहरी कार्य**	• मेट्रोलाइट सिस्टम के लिए मानक विनिर्देश जुलाई 2019 में जारी किए गए। • मैट्रो नियो सिस्टम के लिए मानक विनिर्देश नवंबर 2020 में जारी किए गए। • रिठाला-नरेला के लिए मेट्रोलाइट का प्रस्ताव - कैबिनेट नोट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। • गोरखपुर के लिए मेट्रोलाइट - कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। • जम्मू और श्रीनगर के लिए मेट्रोलाइट - पीआईबी की मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। • नासिक रोड का मेट्रोनियो कॉरिडोर - कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
25	59	केंद्रीय हिस्से की धनराशि निम्नलिखित को दी जाएगीः क. कोच्ची मैट्रो रेलवे फेज-II, जिसकी लंबाई 11.5 किमी. और लागत ₹1957.05 करोड़ होगी। ख. चेन्नई मैट्रो रेलवे फेज-II, जिसकी लंबाई 118.9 किमी. और लागत ₹63,246 करोड़ होगी.	क. कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। . ख. कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। ग. कैबिनेट ने 20.04.2021 को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
		ग. बैंगलुरू मैट्रो रेलवे प्रोजेक्ट फेज 2ए और 2बी, जिसकी लंबाई 58.19 किमी. और लागत `14,788 करोड़ होगी। घ. नागपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज-II और नासिक मेट्रो, जिसकी लागत क्रमशः ₹5,976 करोड़ और ₹2,092 करोड़ होगी। **मंत्रालय/विभाग:** **आवासन और शहरी कार्य**	घ. कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।
26	61	देशभर में संवितरण कंपनियों का अपना एकाधिकार रहा है - चाहे वह सरकारी कंपनी हो या निजी कंपनी। अब हमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की जरूरत है जिससे कि उपभोक्ताओं को विकल्प मिल सके। एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिससे उपभोक्ता एक से अधिक संवितरण कंपनियों में से अपना चुनाव करने का विकल्प रख सकेंगे। **मंत्रालय/विभाग:** **विद्युत**	कैबिनेट नोट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।
27	62	इन संवितरण कंपनियों की व्यवहार्यता के प्रति बहुत बड़ी चिंता है। आने वाले 5 वर्षों में ₹3,05,984 करोड़ के परिव्यय से एक परिष्कृत व सुधार आधारित तथा परिणाम संबद्ध विद्युत वितरण क्षेत्र की योजना शुरू की जाएगी। इस योजना से डिस्कॉम्स को बुनियादी संरचनाओं को तैयार करने में सहायता मिल सकेगी, जिसमें प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग, सिस्टम्स का उन्नयन आदि आते हैं, जो कि वित्तीय सुधार से जुड़े हुए हैं। **मंत्रालय/विभाग:** **विद्युत**	• सीसीईए ने 30.06.2021 को इस योजना को मंजूरी दे दी है। • योजना के दिशा-निर्देश 27.07.2021 को जारी कर दिए गए हैं।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
28	63	प्रधानमंत्री जी ने नवम्बर, 2020 में तीसरे री-इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में बोलते समय एक वृहद राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को शुरू करने की योजना की घोषणा की थी। अब 2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है जिसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकेगा। **मंत्रालय/विभाग:** **एमएनआरआई**	• एमएनआरई ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन दस्तावेज का मसौदा तैयार किया है। • ईएफसी का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
29	64	बड़े-बड़े पत्तन जोकि अपनी संचालन सेवाओं को खुद देखते हैं अब एक ऐसे मॉडल के रूप में सामने आएंगे जिसका प्रबंधन इसके निजी भागीदार द्वारा किया जाता होगा। इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकारी व निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत प्रमुख पत्तनों के द्वारा 7 परियोजनाएं प्रस्तावित की जाएंगी जिनकी लागत ₹2,000 करोड़ से अधिक होगी। **मंत्रालय/विभाग:** **पत्तन, पोत परिवहन और जालमार्ग**	₹2,000 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ 7 (सात) परियोजनाओं की पहचान इस प्रकार की गई है: **(i) जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल** (₹863.31 करोड़ का अनुमानित निवेश) - • एसएफसी ने 17 जून, 2021 को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। • 2 नवंबर, 2021 को बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि थी आरएफक्यू 23 अगस्त, 2021 को जारी किया गया था। प्राप्त बारह बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है । • आरएफपी 24 दिसंबर, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2022 थी। **(ii)जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर तटीय बर्थ (और उथले पानी की बर्थ) का संचालन** (₹343.00 करोड़ का अनुमानित निवेश) - एसएफसी का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। **(iii) एसक्यूबी बर्थ का मशीनीकरण -** पारादीप पोर्ट (₹75.00 करोड़ का अनुमानित निवेश) - परियोजना प्रमुख बंदरगाहों द्वारा भूमि प्रबंधन के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों के तहत ली जाएगी। **(iv) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता में बर्थ** -2 (₹298.26 करोड़ का अनुमानित निवेश) - 30 सितंबर, 2021 को आरएफपी बोलियां खोली गईं। आरएफपी के खिलाफ दो बोलियां प्राप्त हुईं। आशय पत्र (एलओआई) शीघ्र ही जारी होने की संभावना है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			(v) बर्थ नंबर 14 - उर्वरक बर्थ का मशीनीकरण - दीनदयाल पोर्ट, कांडला (`300.28 करोड़ का अनुमानित निवेश) - • एसएफसी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव • आरएफक्यू 31 जुलाई, 2021 को आमंत्रित किया गया। • आरएफक्यू आवेदन 14 सितंबर, 2021 को खोले गए और प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। **(vi) बर्थ नंबर 9- वीओ चिदंबरनार पोर्ट, तूतीकोरिन** ₹434.17 करोड़ का अनुमानित निवेश) - • 8 मार्च, 2021 को पोर्ट को एसएफसी की स्वीकृति से अवगत करा दिया गया । • आरएफक्यू 5 मई, 2021 को जारी किया गया था आरएफक्यू आवेदन 24 अगस्त, 2021 को खोले गए थे। • आरएफपी 15 दिसंबर, 2021 को मंगाई गई है, जिसमें बोलियां जमा करने की नियत तारीख 31 जनवरी, 2022 है। **vii) एनसीबी-3बर्थ- वीओ चिदंबरनार पोर्ट, तूतीकोरिन** (₹356.39 करोड़ का अनुमानित निवेश) -एसएफसी ने 15 दिसंबर, 2021 को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
30	65	भारत में मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने की एक योजना शुरू की जाएगी जिसमें मंत्रालयों और सीपीएसई के द्वारा जारी किए जाने वाले विश्व स्तरीय निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी के माध्यम से सहायता दी जा सकेगी। इसके लिए आने वाले 5 वर्षों में ₹1624 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी जाएगी। इस प्रकार के प्रयास से ग्लोबल शिपिंग में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी के बढ़ने के अलावा इंडियन सीफेयररों के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर सुलभ हो सकेंगे। **मंत्रालय/विभाग:** **पत्तन, पोत परिवहन और जालमार्ग**	कैबिनेट ने 14.07.2021 को सरकारी कार्गो के आयात के लिए मंत्रालयों और सीपीएसई द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी के रूप में पांच वर्षों में ₹1624 करोड़ प्रदान करने की एक योजना को मंजूरी दी है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
31	66	भारत ने एक रिसाइंकिलिंग ऑफ शिप्स एक्ट, 2019 अधिनियमित किया है और हॉगकांग इंटरनेशनल कन्वेशन तक अपनी पहुंच कायम की है। गुजरात के अलंग में स्थित लगभग 90 शिप रिसाइंकिलिंग यार्ड्स को पहले ही एचकेसी-अनुपालन सर्टिफिकिट प्राप्त हो गया है। यूरोप और जापान से और अधिक जहाजों को भारत में लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। रिसाइंकिलिंग कैपेसिटी जोकि लगभग 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन (एलडीटी) है, को 2024 तक दो गुना कर दिया जाएगा। इससे हमारे युवाओं के लिए 1.5 लाख अधिक नौकरियों के पैदा होने का अनुमान है। **मंत्रालय/विभाग:** **पत्तन, पोत परिवहन और जालमार्ग**	• बेसल कन्वेंशन के तहत भारत में रीसाइक्लिंग के लिए यूरोपीय संघ के ध्वजांकित जहाजों के आयात के लिए एक द्विपक्षीय समझौता पहले ही तैयार किया जा चुका है और यूरोपीय संघ के समुदाय के साथ साझा करने के लिए ब्रुसेल्स में भारतीय दूतावास को भेजा जा चुका है। • इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों, जहां जहाज रीसाइक्लिंग हो रहा है, को अपनी जहाज रीसाइक्लिंग क्षमता बढ़ाने के लिए योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। • सभी प्रमुख बंदरगाहों से उनके अप्रयुक्त जल मोर्चों पर जहाज पुनर्चक्रण सुविधाओं की स्थापना पर विचार करने के लिए संपर्क किया गया है।
32	67	हमारी सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि में भी देशभर में ईंधन की आपूर्ति बनाए रखी है। लोगों के जीवन में इस क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए निम्नलिखित प्रमुख कदमों की घोषणा की जा रही हैः क. उज्ज्वला स्कीम, जिसका लाभ 8 करोड़ परिवारों को हुआ है, का इस हद तक विस्तार किया जाएगा कि इसमें 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जा सकें। ख. हम अगले 3 वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्टीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे। ग. जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एक गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जाएगी। घ. एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा जिससे बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइप	क. गरीब परिवारों को एक करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए देश भर में 10 अगस्त, 2021 को उज्ज्वला 2.0' को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है और 01.01.2022 तक, 96.99 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। ख. लगभग 200 जिलों को कवर करने वाले 65 जीए में से 61 जीए के संबंध में बोलियां प्राप्त हुईं। पूरी प्रक्रिया (प्राधिकरण मिलने तक) फरवरी, 2022 तक पूरी कर ली जाएगी। ग. (i) गेल द्वारा प्रस्तुत डीएफआर। (ii) गेल को गुरदासपुर -श्रीनगर पाइपलाइन के लिए प्राधिकरण जारी करने के लिए पीएनजीआरबी को निर्देश जारी किया गया। (iii) एमओपीएनजी ने जम्मू-कश्मीर सरकार से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में प्राकृतिक गैस पर 0% वैट लगाने का अनुरोध किया है। वीजीएफ अनुदान के लिए पीआईबी और ईएफसी अनुमोदन प्रक्रियाधीन है। घ. सीसीईए नोट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
		लाइनों की कॉमन कैरियर कैपिसिटी की बुकिंग में सुविधा प्रदान की जा सकेगी और समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। **मंत्रालय/विभाग:** **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस**	
33	68	हम सेबी एक्ट, 1992, डिपोजिट्रीज एक्ट, 1996, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रेक्ट (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956 और गवर्नेंट सिक्योरिटीज एक्ट, 2007 के प्रावधानों को समेकित करके एक युक्तिसंगत एकल सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड तैयार कर सके, ऐसा मेरा प्रस्ताव है। **मंत्रालय/विभाग:** **आर्थिक कार्य**	डीईए ने दिनांक 7.10.2021 के आदेश के तहत एक समिति गठित की है। समिति इस संबंध में अनुमोदित विचारार्थ शर्तों के अनुसार प्रस्तावित संहिता का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है।
34	69	सरकार जीआईएफटी - आईएफएससी में एक विश्वस्तरीय या फिन-टेक हब विकसित करने के लिए अपना समर्थन देने को तैयार है। **मंत्रालय/विभाग:** **आर्थिक कार्य**	• आईएफएससीए ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के तहत तीन संस्थाओं को मंजूरी दी है, जिसमें एनएसई आईएफएससी को डिपॉजिटरी रसीदों के रूप में चुनिंदा अमेरिकी शेयरों में ट्रेडिंग के लिए दी गई मंजूरी शामिल है। • पहले फिनटेक एक्सेलेरेटर- फिनक्स लैब्स का आईएफएससीए ने समर्थन किया और इसे चालू कर दिया गया है। • आईएफएससीए फिनटेक लैब का उद्घाटन किया गया है जो गिफ्ट में फिनटेक फर्मों को ब्लूमबर्ग फाइनेंशियल नेटवर्क से जोड़ेगी । जरूरत के हिसाब से इसे बढ़ाया जाएगा। • आईएफएससीए टी-हब (हैदराबाद) और फिन-ब्लू हब (चेन्नई) के साथ समझौता ज्ञापन को औपचारिक रूप देने के लिए सहमत हो गया है। • गिफ्ट-आईएफएससी में इनोवेशन इको-सिस्टम को मजबूत करने के लिए, डीईए ने सितंबर 2021 में तीन वर्षों में ₹45.75 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ "फिन-टेक इंसेंटिव स्कीम 2021" को मंजूरी दी है। • "इन्फिनिटी फोरम" - एक वैश्विक फिनटेक महोत्सव, 3-4 दिसंबर, 2021 को आयोजित किया गया था ।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
35	70	इस दबाव के वक्त में कारपोरेट बांड मार्केट में भागीदारों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए और सामान्यतः सेकेन्ड्री मार्केट लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए एक स्थायी संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित निकाय के द्वारा दबावयुक्त और सामान्य समय अर्थात् दोनों ही स्थितियों में निवेशपरक ग्रेड की ऋण सिक्यूरिटीज की खरीद की जा सकेगी और इससे बांड मार्केट के विकास में मदद मिल सकेगी। **मंत्रालय/विभाग:** **आर्थिक कार्य**	• सचिव (आर्थिक कार्य विभाग) ने 19.02.2021, 24.07.2021 और 04.11.2021 को नियामकों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की जिसमें प्रस्तावित इकाई के ढांचे पर चर्चा की गई। • आर्थिक कार्य विभाग ऐसी इकाई के संचालन के लिए दिशानिर्देश और संरचना तैयार करने के लिए नियामक के साथ काम कर रहा है।
36	71	2018-19 के बजट में सरकार ने देश में सोने के विनिमय को विनियमित करने की एक व्यवस्था स्थापित करने की अपनी मंशा की घोषणा की थी। इस उद्देश्य के लिए सेबी को एक विनियामक के रूप में अधिसूचित किया जाएगा तथा वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेट्री अथोरटी को मजबूत बनाया जाएगा जिससे कि एक कमोडिटी मार्केट इको सिस्टम की व्यवस्था कायम की जा सके और इसमें वेयरहाउसिंग के अलावा वाउल्टिंग, जांचपरख व लॉजिस्टिक्स आदि को भी शामिल किया जा सके। **मंत्रालय/विभाग:** **आर्थिक कार्य**	• सेबी ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वॉल्ट मैनेजर्स) विनियम, 2021 जारी किया है और इसके तहत आवश्यक परिपत्र जारी करने की प्रक्रिया में है।. • केंद्र सरकार ने प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) के उप खंड (iiक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 दिसंबर 2021 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से "इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद" को प्रतिभूतियों के रूप में घोषित किया है।
37	72	निवेशकों को संरक्षण देने की दिशा में मेरा प्रस्ताव सभी वित्तीय उत्पादों के प्रति सभी वित्तीय निवेशकों के अधिकार के रूप में एक इन्वेस्टर चार्टर को लागू करने का है। **मंत्रालय/विभाग:** **आर्थिक कार्य**	• आर्थिक कार्य विभाग सभी वित्तीय उत्पादों में सभी वित्तीय निवेशकों के अधिकार के रूप में एक निवेशक चार्टर शुरू करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के साथ काम कर रहा है। • निवेशक चार्टर जारी करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों की तुलना की जा रही है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
38	73	गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए मेरा प्रस्ताव भारतीय सौर ऊर्जा निगम में ₹1,000 करोड़ और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी में ₹1,500 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी को लगाने का है। **मंत्रालय/विभाग:** **एमएनआरई**	• सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ₹1000 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी डालने के लिए ईएफसी ज्ञापन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। • इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) में ₹1500 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी लगाने के लिए मंत्रिमंडल नोट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।
39	74	मेरा प्रस्ताव बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन किए जाने का है जिससे कि इसके लिए बीमा कंपनियों में अनुज्ञेय एफडीआई सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की जा सके और सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण को स्वीकृति दी जा सके। इस नई संरचना के अंतर्गत बोर्ड के ज्यादातर निदेशक और प्रबंधन से जुड़े प्रमुख व्यक्ति रेजीडेंट इंडियन होंगे जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे और लाभ का एक विशेष प्रतिशत सामान्य रूप से आरक्षित रखा जाएगा। **मंत्रालय/विभाग:** **वित्तीय सेवाएं, डीपीआईआईटी**	**वित्तीय सेवाएं विभाग:** बीमा (संशोधन) अधिनियम**, 2021** को विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा **25.0.2021** को अधिसूचित किया गया है और यह **01.04.2021** से लागू हो गया है। **डीपीआईआईटी:** डीपीआईआईटी ने स्वचालित मार्ग के तहत बीमा कंपनियों में अनुमेय एफडीआई सीमा को **49** प्रतिशत से बढ़ाकर **74** प्रतिशत करने के लिए दिनांक **14.06.2021** को प्रेस नोट **2 (2021)** जारी किया और सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति दी और इसे फेमा के तहत दिनांक **19.08.2021** को आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) द्वारा अधिसूचित किया गया।
40	75	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने संकटग्रस्त परिसंपत्ति के लिए उच्च स्तर का प्रावधान कर सके इसके लिए ऐसे उपाय की जरूरत है जिससे बैंक के बही खाते ठीक हो सके। एक असेट रिकस्ट्रेक्सन कंपनी लिमिटेड और असेट मैनेंजमेंट कंपनी का गठन किया जाएगा जिससे वर्तमान के तनावग्रस्त ऋण को समेकित किया जा सके और उसे अपने हाथ में लिया जा सके फिर उसके बाद उस परिसंपत्ति का वैकल्पिक निवेश कोष में निपटान किया	नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एनएआरसीएल) और इंडिया डेब्ट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड (आईडीआरसीएल) की स्थापना की गई है और मंत्रिमंडल ने दिनांक 15.9.2021 की अपनी बैठक में एनएआरसीएल द्वारा जारी की जाने वाली सुरक्षा रसीदों के लिए भारत सरकार की ₹30,600 करोड़ तक की गारंटी को मंजूरी दी है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
		जा सके और अन्य सक्षम निवेशकों को दिया जा सके ताकि उसका अंतिम मूल्य प्राप्त हो सके। **मंत्रालय/विभाग:** **वित्तीय सेवाएं**	
41	76	पीएसबी की वित्तीय क्षमता को और अधिक समेकित करने के लिए वर्ष 2021-22 में ₹20,000 करोड़ और का पुनः पूंजीकरण किए जाने का प्रस्ताव है। **मंत्रालय/विभाग:** **वित्तीय सेवाएं**	बैंक-वार आवश्यकता का आकलन प्रक्रियाधीन है।
42	77	पिछले वर्ष सरकार ने बैंक ग्राहकों के लिए डिपोजिट बीमा कवर को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर ₹5 लाख तक कर दिए जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी। हम इसी सत्र में डीआईसीजीसी एक्ट, 1961 में संशोधन करने का एक प्रस्ताव लाएंगे जिससे कि इसके प्रावधानों को स्ट्रीम लाइन किया जा सके ताकि यदि कोई बैंक अस्थायी रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल हो जाता है तो ऐसे बैंक में जमा करने वाले व्यक्ति आसानी से और समयपूर्वक अपनी जमाराशि को उस सीमा तक प्राप्त कर सकें जिस सीमा तक वह बीमा कवरेज के अंतर्गत आती हो। इससे बैंक के उन जमाकर्ताओं को मदद मिल सकेगी जोकि इस समय तनावग्रस्त है। **मंत्रालय/विभाग:** **वित्तीय सेवाएं**	जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 (डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम) को 01.09.2021 से लागू किया गया है।
43	78	छोटे-मोटे कर्जदारों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ क्रेडिट की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, एनबीएफसी के लिए जिसकी न्यूनतम परिसंपत्ति ₹100 करोड़ तक की हो सकती	इस आशय से राजपत्र अधिसूचना दिनांक 12.02.2021 को जारी कर दी गई है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
		है, सिक्यूरीटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल असेट्स एंड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरीटी इन्टेरेस्ट (एसएआरएफएईएसआई) एक्ट, 2002 के अंतर्गत ऋण वसूली के लिए पात्र न्यूनतम ऋण की सीमा को ₹50 लाख के वर्तमान स्तर से कम करके ₹20 लाख तक करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। **मंत्रालय/विभाग:** **वित्तीय सेवाएं**	
44	79	कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रक्रियागत और तकनीकी रूप से शमन किए जाने वाले अपराधों को समाप्त किए जाने का काम अब पूरा हो गया है। अब हमारा प्रस्ताव लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) एक्ट, 2008 को अपराध मुक्त बनाने के लिए अगला कदम उठाए जाने का है। **मंत्रालय/विभाग:** **कारपोरेट कार्य**	सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 को दिनांक 13.08.2021 को अधिसूचित किया गया है।
45	80	महोदय, मेरा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लघु कंपनियों की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसके तहत प्रदत्त पूंजी के लिए उनकी न्यूनतम सीमा (थ्रेशोल्ड) ₹50 लाख से अनधिक' के स्थान पर ₹2 करोड़ से अनधिक' तथा कारोबार की न्यूनतम सीमा को '₹2 करोड़ से अनधिक' के स्थान पर '₹20 करोड़ से अनधिक' किया जाए। इससे दो लाख से अधिक कंपनियों को अपने अनुपालन संबंधी जरूरत को पूरा करने में आसानी होगी। **मंत्रालय/विभाग:** **कारपोरेट कार्य**	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत "छोटी कंपनियों" की परिभाषा को उनकी प्रदत्त पूंजी के लिए दहलीज को "₹50 लाख की सीमा से अधिक नहीं" को बढ़ाकर "₹2 करोड़ की सीमा से अधिक नहीं" तक और आवर्त को "₹2 करोड़ की सीमा से अधिक नहीं" को बढ़ाकर ''₹20 करोड़ से अधिक नहीं'' तक संशोधित किया गया है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
46	81	एक अन्य उपाय, जिससे स्टार्टअप और अभिनवकर्ताओं को लाभ पहुंचेगा के रूप में मेरा प्रस्ताव यह है कि ओपीसी को मंजूरी देते हुए एकल व्यक्ति कंपनी के निगमन को प्रोत्साहित किया जाए जिससे कि प्रदत्त पूंजी और कारोबार पर बिना प्रतिबंध के वे अपना विकास कर सके और उनको किसी भी समय अपना किसी भी अन्य प्रकार की कंपनी के रूप में बदलने की अनुमति दी जाए, ओपीसी के गठन के लिए भारतीय नागरिक के रूप में उनके आवासन की सीमा जो 182 दिन की रखी गई है उसे 120 दिन की जाए और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को भारत में अपनी ओपीसी स्थापित करने की अनुमति दी जाए। **मंत्रालय/विभाग:** **कारपोरेट कार्य**	कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी (निगमन) द्वितीय संशोधन नियम, 2021 के माध्यम से अधिसूचना संख्या 91 (ई) दिनांक 01.02.2021के माध्यम से एक व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) के निगमन को प्रोत्साहित किया है।
47	82	विवादों का तेजी से समाधान सुनिश्चित करने के लिए एनसीएलटी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाया जाएगा, ई-कोर्ट्स सिस्टम को लागू किया जाएगा और एमएसएमई के लिए ऋण समाधान की वैकल्पिक व्यवस्था और विशेष फ्रेमवर्क को लागू किया जाएगा।	1. **एनसीएलटी ढांचे का सुदृढ़ीकरण:** सरकार ने एनसीएलटी में 21 नए सदस्यों (11 न्यायिक और 10 तकनीकी) की नियुक्ति को मंजूरी दी है और उनमें से 20 सदस्य (11 न्यायिक और 9 तकनीकी) अब तक शामिल हो चुके हैं। मौजूदा रिक्तियों के लिए सदस्यों की चयन प्रक्रिया और स्वीकृत पदों के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। **2. ई-कोर्ट परियोजना का कार्यान्वयन:** • सभी बेंचों में ई-फाइलिंग शुरू हो गई है। • ई-कोर्ट परियोजना के शेष मॉड्यूल प्रक्रियाधीन हैं। **3. एमएसएमई के लिए ऋण समाधान के वैकल्पिक तरीकों और विशेष ढांचे की शुरूआत:** दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2021 को संसद द्वारा 11.08.2021 को पारित किया गया है, जिससे संकट में कॉर्पोरेट देनदारों के दिवाला समाधान के लिए एक तेज, लागत प्रभावी, अर्ध-औपचारिक और कम विघटनकारी ढांचा प्रदान करने के लिए दिवाला

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			और दिवालियापन संहिता, 2016 के भाग II के तहत एमएसएमई कॉर्पोरेट देनदारों के लिए प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया (पीपीआईआरपी) पर अध्याय IIIक का सम्मिलन प्रदान किया गया है। इसके अलावा, पीपीआईआरपी ढांचे के संचालन और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, संहिता की धारा 4 के दूसरे नियम प्रावधान के तहत अधिसूचना, पीपीआईआरपी, दिवाला और दिवालियापन (पूर्व-पैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) नियम, 2021 की शुरुआत के लिए न्यूनतम राशि के रूप में 10 लाख भारतीय रूपया प्रदान करती है और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (पूर्व-पैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021को दिनांक 09.04.2021 से स्थान पर रखा गया है।
48	83	आने वाले राजकोषीय वर्ष 2021-22 के दौरान हम डाटा एनेलेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग चालित एमसीए 21 वर्जन 3.0 शुरू कर रहे होंगे। इस वर्जन 3.0 में ई-स्क्रूटनी, ई-एडजुडीकेशन, ई-कन्सल्टेशन और अनुपालन प्रबंधन के अतिरिक्त मॉड्यूल्स होंगे। **मंत्रालय/विभाग:** **कारपोरेट कार्य**	• एमसीए अधिकारियों के लिए संशोधित वेबसाइट, ई-परामर्श, ई-बुक और ई-मेल सेवाओं से युक्त एमसीए21 वर्जन 3.0 के फेज-1 को दिनांक 24.05.2021 को लॉन्च और डिप्लोय किया गया है। • 15 अक्टूबर, 2021 को एमसीए अधिकारियों के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) लागू किया गया है। • दूसरे चरण में कंपनी और एलएलपी मॉड्यूल, ई-निर्णय और अनुपालन प्रबंधन प्रणाली सहित बाकी मॉड्यूल शामिल हैं, जो विकास के विभिन्न चरणों में हैं।
49	84	कोविड-19 के वावजूद हम रणनीतिक विनिवेश की दिशा में कार्य करते रहे हैं। बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के साथ होने वाले कई लेन-देन 2021-22 में पूरे हो जाएंगे। वर्ष 2021-22 में हम आईडीबीआई बैंक के अलावा दो सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी का भी	**दीपम:** **बीपीसीएल:** • अनेक अभिरुचि की अभिव्यक्तियां (ईओआई) प्राप्त हुई हैं । • योग्य बोलीदाताओं का चयन किया गया। • सभी क्यूआईपी को वीडीआर एक्सेस प्रदान किया गया था। **एयर इंडिया लिमिटेड:** • टाटा सन्स स्पेशल पर्पस व्हीकल टैलेस प्राइवेट लिमिटेड सफल बोलीदाता के रूप में उभरा। • ईवी के विचार के रूप में एआई

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
		निजीकरण करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसके लिए वैधानिक संशोधनों की जरूरत पड़ेगी और इसी सत्र में ही इन संशोधनों को लाने का हमारा विचार है। **मंत्रालय/विभाग:** **दीपम** **वित्तीय सेवाएं**	(एआईएक्सएल और एआईएसएटीएस में एआई की हिस्सेदारी के साथ एआई के 100 प्रतिशत शेयर)के लिए विजेता बोली 18,000 करोड़ भारतीय रूपया के लिए है । दिनांक 25.10.2021 को मैसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड, एयर इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। • लेन-देन जनवरी, 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। **शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड:** • पीआईएम/ईओआई 22.12.2020 को जारी किया गया था। अनेक ईओआई प्राप्त हुए। • पात्र बोलीदाताओं का चयन किया गया। • विलय प्रक्रिया के लिए एससीआई बोर्ड की सहायता के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है। • क्यूआईबी को वीडीआर एक्सेस प्रदान किया गया है। • आरएफपी, सीआईएम और ड्राफ्ट एसपीए ने क्यूआईबी के साथ ड्राफ्ट एसपीए पर टिप्पणियों को आमंत्रित करते हुए साझा किया। **पवन हंस लिमिटेड:** • एकाधिक ईओआई प्राप्त हुए। • योग्य बोलीदाताओं को चयनबद्ध किया गया। • वीडीआर तक पहुंच प्रदान की गई है। • अंतिम शेयर खरीद समझौते (एसपीए) को एएम द्वारा अनुमोदित किया गया है। • पवन हंस लिमिटेड के एसडी के संबंध में 3 बोलीदाताओं से बोलियां 17 दिसंबर, 2021 तक प्राप्त हुई हैं। • तीन बोलीदाताओं की गैर-वित्तीय बोलियों को पात्रता के संबंध में जांच के लिए टीए को सौंप दिया गया है और वित्तीय बोलियों को दीपम की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			कॉनकॉर : • ड्राफ्ट ईओआई भूमि लाइसेंस शुल्क (एलएलएफ) के बारे में स्पष्टता के बाद जारी किया जाएगा। **बीईएमएललिमिटेड**: ▪ कई ईओआई प्राप्त हुए, और लेनदेन अब दूसरे चरण में चला गया है। ▪ मसौदा एसएचए और एसपीए को टीए द्वारा 01.11.2021 को शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं के साथ साझा किया गया था और आरएफपी 17.11.2021 को जारी किया गया था। ▪ एसबी द्वारा प्रश्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और ड्राफ्ट एसपीए और एसएचए पर उनके द्वारा टिप्पणियां जमा करने की अंतिम तिथि 10.12.22021 थी। टीए, एसबी के प्रश्नों के उत्तर को वीडीआर पर अपलोड करता रहा है। ▪ सेबी, बीएसई और एनएसई की मंजूरी प्राप्त करने के बाद, बीईएमएल ने 22.10.2021 को कॉरपोरेटकार्य मंत्रालय (एमसीए), नई दिल्ली के साथ व्यवस्था की योजना के साथ आवेदन जमा किया है। ▪ एमसीए ने कुछ प्रश्न उठाए हैं और अतिरिक्त दस्तावेज/सूचना मांगी है जो बीईएमएल द्वारा 15.12.2021 को उपलब्ध कराई गई है। एमसीए में उत्तरों की समीक्षा की जा रही है। **आईडीबीआई बैंक**: ▪ सीसीईए ने 5.5.2021 को प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ▪ आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार और एलआईसी की क्रमश: 45.48% और 49.24% हिस्सेदारी है, जिससे उन्हें 94% से अधिक की संयुक्त हिस्सेदारी मिलती है। ▪ भारत सरकार और एलआईसी द्वारा विभाजित की जाने वाली संबंधित शेयरधारिता की सीमा

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			आरबीआई के परामर्श से लेनदेन की संरचना के समय तय की जाएगी। ▪ आईएमजी ने 10.8.21 और 18.8.2021 को हुई बैठकों में लेनदेन सलाहकार और कानूनी सलाहकार का चयन किया है। ▪ प्रारंभ बैठक 07.09.2021 को आयोजित की गई थी और तदनुसार लेनदेन के तौर-तरीके वर्तमान में चल रहे हैं. **एनआईएनएल**: ▪ 25.01.2021 को ईओआई आमंत्रित किए गए। ▪ एकाधिक ईओआई प्राप्त हुए। बोली लगाने वालों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ▪ आईएमजी ने अनुमोदन के लिए सीजीडी को संशोधित एसपीए और आरएफपी की सिफारिश की। ▪ सीजीडी ने 05.11.2021 को अनुमोदन के लिए संशोधित एसपीए और आरएफपी को एएम करने की सिफारिश की। ▪ सीजीडी की सिफारिशों को एएम द्वारा 09.11.2021 को अनुमोदित कर दिया गया है। ▪ 17.11.2021 को आयोजित ईएससी की 8वीं बैठक में एनआईएनएल के प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश के लिए एस्क्रो समझौते पर विचार और अनुमोदन किया गया। ▪ वाटरफॉल समझौता जो एनआईएनएल के विभिन्न देय और देनदारियों के भुगतान के लिए प्राथमिकता देता है, उस पर बेचने वाले शेयरधारकों द्वारा आपस में हस्ताक्षर किए गए हैं। ▪ संपत्ति मूल्यांकन और व्यापार मूल्यांकन पर स्थापना रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ईएससी की 9वीं बैठक 02.12.2021 को आयोजित की गई थी। ▪ वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने के लिए टीए द्वारा दिनांक 03.12.2021 को आरएफपी जारी किया गया था।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			▪ संपत्ति मूल्यांकन और व्यापार मूल्यांकन पर स्थापना रिपोर्ट के संबंध में ईएससी की सिफारिशों पर विचार करने के लिए आईएमजी की 14वीं बैठक 14.12.2021 को आयोजित की गई थी। ▪ 23.12.2021 को प्राप्त वित्तीय बोलियां और एनआईएनएल के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। **एलआईसी की लिस्टिंग:** ▪ एलआईसी अधिनियम में संशोधन को वित्त अधिनियम, 2021 के माध्यम से अनुमोदित किया गया। ▪ सीसीईए ने 08.07.2021 को हुई अपनी बैठक में एलआईसी के आईपीओ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ▪ आईपीओ के लिए एलआईसी तैयार करने के लिए प्री-आईपीओ लेनदेन सलाहकार नियुक्त किए गए थे। ▪ एलआईसी का बीमांकिक मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए बीमांकिक फर्म नियुक्त। ▪ एलआईसी ने प्रबंधित क्लाउड सेवाओं के साथ जीवन बीमा के लिए बीमांकिक सॉफ्टवेयर के एकीकृत सूट की खरीद की है और बीमांकिक सॉफ्टवेयर प्रणाली के लिए एक कार्यान्वयन सलाहकार नियुक्त किया है। ▪ एलआईसी और मूल्यांकन सलाहकारों (अर्नस्ट एंड यंग) द्वारा आईईवी मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है। ▪ बीआरएलएम, कानूनी सलाहकार, रजिस्ट्रार और विज्ञापन एजेंसी नियुक्त किए गए हैं। ▪ एलआईसी ने एलआईसी आईपीओ के लिए मैसर्स बटलीबोई और पुरोहित को वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। ▪ अर्ली इन्वेस्टर रोड शो 02.12.2021, 08.12.2021, 09.12.2021, 13.12.2021 और 14.12.2021 को आयोजित किया गया।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			वित्तीय सेवाएं विभाग: • **पीएसबी:** प्रासंगिक अधिनियमों में संशोधन के लिए मसौदा कैबिनेट नोट अंतर-मंत्रालयी परामर्श के अधीन है। • **पीएसआईसी:** सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, **1972,** को **19.08.2021** को संशोधित किया गया है और **27.08.2021**सेयह प्रभावी है।
50	85	2021-22 में ही हम एलआईसी का आईपीओ भी लाएंगे जिसके लिए मैं इसी सत्र में अपेक्षित संशोधन ला रही हूँ। **मंत्रालय/विभाग:** **वित्तीय सेवाएं**	• एलआईसी अधिनियम के संशोधित प्रावधान 30.06.2021 से प्रभावी हो गए हैं। • एलआईसी अधिनियम, 1956 में संशोधन के अनुसार नियमों और विनियमों में आवश्यक संशोधन पूरे कर लिए गए हैं। • आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 08.07.2021 को एलआईसी की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश को मंजूरी दे दी है। • दीपम द्वारा जारी बीआरएलएम और अन्य बिचौलियों की नियुक्ति के लिए आरएफक्यू।
51	86	आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत हमने घोषणा की थी कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रणनीतिक विनिवेश की एक नीति लाने वाले हैं। सदन को सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि सरकार ने उक्त नीति को अनुमोदित कर दिया है। इस नीति में सभी गैर-सामरिक और सामरिक क्षेत्रों में विनिवेश का एक सुस्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है। हमने अपने पास ऐसे चार क्षेत्रों को ही रखा है जोकि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं जिसमें न्यूनतम सीपीएसई को बनाए रखा जाएगा और बाकी का निजीकरण कर दिया जाएगा। बाकी क्षेत्रों में सभी सीपीएसई का निजीकरण किया जाएगा। **मंत्रालय/विभाग:** **दीपम**	कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति को 4 फरवरी,2021 को जारी किया गया है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
52	87	विनिवेश की नीति में तेजी लाने के लिए मेरा एनआईटीआई से कहना है कि वह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उन कंपनियों को अगली सूची तैयार करे जिनमें रणनीतिक रूप से विनिवेश किया जाना हो। **मंत्रालय/विभाग:** **नीति आयोग**	• सीजीडी को सिफारिशों के 3 सेट प्रदान करने के लिए क्षेत्रों का विश्लेषण करना और चयन समिति की बैठकों का आयोजन करना। • चयन समिति की बैठक 1 मार्च 2021 को हुई। सिफारिशों का पहला सेट दीपम को सौंपा गया। • चयन समिति की अगली बैठक 5 अप्रैल 2021 को हुई। सिफारिशों के दूसरे सेट को अंतिम रूप दिया गया। • दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के लिए सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए 9 अप्रैल 2021 को एक और बैठक आयोजित की गई थी। सिफारिशें दीपम को सौंप दी गई हैं। • सभी सिफारिशों को सीजीडी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। • समिति की चौथी बैठक 10.06.2021 को हुई। सिफारिशों के तीसरे सेट को अंतिम रूप दिया गया। • विनिवेश के लिए 11 सीपीएसई की सिफारिश की गई है जिसमें 2 पीएसबी और 1 पीएसआईसी शामिल हैं।
53	88	इसी तरह राज्यों को भी अपने निजी क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम राज्यों के लिए केंद्रीय कोष से एक प्रोत्साहनपरक पैकेज लाने वाले हैं। **मंत्रालय/विभाग:** **व्यय**	• 2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता के लिए संशोधित योजना के हिस्से के रूप में, राज्यों को राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विनिवेश और आस्तियों के मुद्रीकरण के लिए ₹5,000 करोड़ रुपये तक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। • राज्यों को 29.04.2021 को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
54	89	बेकार पड़ी संपत्तियों का आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में कोई योगदान नहीं होने वाला है। ये नॉन-कोर परिसंपत्तियों में ज्यादातर वे अतिरिक्त भूमि आती हैं जो कि सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास पड़ी हैं। इन जमीनों का मुद्रीकरण या तो सीधे उनकी बिक्री	• एसपीवी के गठन की रूपरेखा विश्व बैंक के परामर्श से तैयार की गई है। • दीपम को सलाह देने के लिए डीईए, एमओएचयूए, कानून मंत्रालय, नीति आयोग, एनआईआईएफ, ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य सरकार के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
		करके या रियायत देकर या इसी प्रकार के अन्य साधनों से किया जा सकता है। इसके लिए विशेष योग्यता की जरूरत है और इस उद्देश्य के लिए मेरा प्रस्ताव है कि किसी ऐसी कंपनी के रूप में विशेष प्रयोजनीय साधन का प्रयोग किया जाए जोकि इस कार्य को पूरा कर सके। **मंत्रालय/विभाग:** **दीपम**	• एसपीवी पर टास्क फोर्स की पहली सलाहकार बैठक 22 अप्रैल 2021 को हुई थी और सुझावों को एसपीवी ढांचे में शामिल किया गया था। • स्थापना व्यय पर एक समिति (सीईई) का गठन किया गया था और एक सीईई बैठक 07.07.2021 को आयोजित की गई थी। • सीईई की सिफारिशों को कैबिनेट नोट के मसौदे में शामिल किया गया था। • कैबिनेट नोट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।
55	90	भारग्रस्त या घाटे में चलने वाले सीपीएसई को समय से बंद करने के लिए हम एक ऐसे संशोधित तंत्र को लागू करने वाले हैं जिससे इन इकाइयों को समय से बंद किया जा सकेगा। **मंत्रालय/विभाग:** **सार्वजनिक उद्यम**	• सार्वजनिक उद्यम विभाग ने गैर-रणनीतिक क्षेत्र में सीपीएसई के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) नीति के कार्यान्वयन के लिए 13 दिसंबर, 2021 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, अन्य बातों के साथ-साथ सीपीएसई को समय पर बंद करने के लिए एक तंत्र की परिकल्पना की गई है। • विस्तृत दिशा-निर्देश डीपीई की वेबसाइट www.dpe.gov.in पर उपलब्ध हैं
56	91	हमने विनिवेश से ब.अ. 2021-22 में ₹1,75,000 करोड़ की प्राप्तियों का अनुमान लगाया है। **मंत्रालय/विभाग:** **दीपम**	लक्ष्य की प्राप्ति प्रमुख लेनदेन के सफल समापन पर निर्भर है।
57	92	ट्रेजरी सिंगल एकाउंट सिस्टम (टीएसए) के अंतर्गत स्वायत्तशासी निकाय अपने वास्तविक खर्च के समय सरकार के खाते से अपना फंड सीधे निकाल सकते हैं इससे ब्याज के रूप में आने वाली लागत बच जाती है। हम 2021-22 से इस टीएसए सिस्टम को सर्वसुलभ रूप से लागू करने वाले हैं। **मंत्रालय/विभाग:** **व्यय**	निर्दिष्ट स्वायत्त निकायों में टीएसए का कार्यान्वयन पूरा हो गया है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
58	94	सरकार बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास के प्रति वचनबद्ध है और उनको हर तरह की सहायता देगी। सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय करने की सुगमता को और अधिक सरल बनाने के लिए मेरा प्रस्ताव उनके लिए एक अलग से प्रशासनिक संरचना स्थापित करने का है। **मंत्रालय/विभाग:** **कृषि एवं किसान कल्याण**	सचिव, डीओपीटी से अनुरोध किया गया है कि वे सहकारिता मंत्रालय में 101 पदोंऔर केंद्रीय सहकारिता रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) के कार्यालय में 63 पदों के सृजन के लिए व्यय विभाग के अनुमोदन से सृजित पदों के विरुद्ध सहकारिता मंत्रालय में मंत्रालयों/विभागों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप उनके पास उपलब्ध उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति की संभावना पर विचार करें।
59	101	इस वर्ष के शुरू में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्वामित्व स्कीम शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत गांवों में संपत्तियों के मालिकों को अधिकार के दस्तावेज दिए जा रहे हैं अब तक 1,241 गावों के लगभग 1.80 लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड दिए गए हैं। अब मेरा प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने का है। **मंत्रालय/विभाग:** **पंचायतीराज**	• स्वामित्व योजना के तहत दिसंबर 2021 तक 29,573 गांवों में 40 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों के लिए संपत्ति कार्ड तैयार किया गया है। • 11 जनवरी 2022 तक 96,000 गांवों में ड्रोन उड़ान के माध्यम से सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। • 29 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (9 पायलट चरण राज्यों- आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित) और 20 और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु और त्रिपुरा) ने 11 जनवरी 2022 तक योजना के कार्यान्वयन के लिएभारतीय सर्वेक्षण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। • मार्च 2022 तक देश भर में लगभग 567 सतत संचालन संदर्भ प्रणाली (सीओआरएस) नेटवर्क स्थापित किया जाना है।
60	102	अपने किसानों को पर्याप्त ऋण सुलभ कराने के लिए हमने वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर ₹16.5 लाख करोड़ तक कर दिया है। हमारा ध्यान पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी के क्षेत्र में और अधिक ऋण सुलभ कराने पर है। **मंत्रालय/विभाग:** **वित्तीय सेवाएं**	पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए उप-लक्ष्य के साथ-साथ क्षेत्रवार, एजेंसीवार और उद्देश्यवार लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया गया है और सभी हितधारकों को 16.2.2021 को सूचित किया गया है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
61	103	हम ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में किए जा रहे आबंटन को ₹30,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ कर रहे हैं। **मंत्रालय/विभाग:** **वित्तीय सेवाएं**	• आरबीआई से आरआईडीएफ के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्राथमिकता वाले क्षेत्र की कमी में से ₹40,000 करोड़ आवंटित करने का अनुरोध किया गया था। • तदनुसार, आरबीआई ने आरआईडीएफ के लिए आवंटन को ₹30,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ कर दिया है।
62	104	नाबार्ड के अंतर्गत ₹5,000 करोड़ से एक माइक्रो इरिगेशन फंड स्थापित किया गया है। मेरा प्रस्ताव इसमें ₹5,000 करोड़ और डालकर इसको दोगुना करने का है। **मंत्रालय/विभाग:** **कृषि एवं कृषक कल्याण**	• ई.एफ.सी. की बैठक में दिनांक. 06.08.2021 ने एमआईएफको जारी रखने और बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की है। • सीसीईए का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
63	105	कृषि और संबद्ध उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए 'ऑपरेशन ग्रीन स्कीम' जोकि इस समय केवल टमाटर, प्याज और आलू पर लागू है, के दायरे को बढ़ाकर इसमें जल्दी खराब होने वाले 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा। **मंत्रालय/विभाग:** **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग**	• टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) फसलों के अलावा 19 नशवान वस्तुओं की पहचान की गई है। • बागवानी प्रभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पादन आंकड़ों के आधार पर अतिरिक्त 19नश्यवान वस्तुओं के लिए प्रमुख उत्पादक राज्यों में उत्पादन समूहों का चयन किया गया और उसे संबंधित राज्यों द्वारा मान्य किया गया है। • सभी फलों (10) और 21.5.2021 को दिए गए झींगा के लिए संभावित मूल्य श्रृंखलाओं के विकास के लिए बुनियादी ढांचे और प्रसंस्करण सुविधाओं में अंतराल की पहचान करने के लिए मूल्यांकन अध्ययन पूरा कर लिया गया है। • अवसंरचना अंतर मूल्यांकन अध्ययनों के परिणामों के आधार पर योजना दिशानिर्देश और ईओआई तैयार किया जा रहा है। • 08.03.2021 को व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग चक्र अर्थात् एफवाई 2021-22 से 2025-26 के लिए पुनर्गठित प्रधानमंत्री किसान प्रतिपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के एक भाग के रूप में योजना

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			को जारी रखने के लिए अनुमोदन की सिफारिश की गई थी। • सीसीईए को अनुमोदित करने के लिए प्रस्ताव की प्रक्रिया चल रही है।
64	106	ई-एनएएम के तहत 1.68 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया गया है और 1.14 लाख करोड़ रूपये का व्यापार मूल्य हासिल हुआ है। ई-एनएएम से कृषि बाजार में जो पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा देखने में आयी है उसको ध्यान में रखते हुए 1000 और मंडियों को ई-एनएएम के अंतर्गत लाया जाएगा। **मंत्रालय/विभाग:** **कृषि एवं कृषक कल्याण**	• लक्ष्य के अनुसार पहले से ही 1,000 मंडियों को एकीकृत किया गया है। • अतिरिक्त 1,000 मंडियों के लिए कैबिनेट नोट की प्रक्रिया चल रही है।
65	107	एपीएमसी कृषि अवसंरचना कोष की सुविधा प्रदान की जाएगी जिससे वे अपनी बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि कर सकेंगे। **मंत्रालय/विभाग:** **कृषि एवं कृषक कल्याण**	मंत्रिमंडल ने 08.07.2021 को पात्र लाभार्थियों की सूची में एपीएमसी को शामिल करने सहित कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधित योजना के दिशा-निर्देशों से सभी राज्य सरकारों/ऋण देने वाली संस्थाओं/हितधारकों को अवगत कराया जा रहा है।
66	108	हम आधुनिक मात्स्यिकी बंदरगाहों और फिश लैंडिंग सेंटर के विकास में पर्याप्त निवेश के लिए प्रस्ताव कर रहे हैं। शुरू-शुरू में 5 मत्स्य बंदरगाहों – कोच्चि, चैन्नई, विशाखापत्तन, पारदीप और पेटुआघाट का आर्थिक क्रियाकलापों के हब्स के रूप में विकास किया जाएगा। हम नदियों और जलमार्गों के किनारे स्थित अंतर्देशीय मत्स्य बंदरगाहों और फिश लैंडिंग सेंटर का भी विकास करेंगे। **मंत्रालय/विभाग:** **मत्स्य**	• कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम और पारादीप के चार मत्स्य बंदरगाह पत्तन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में हैं और पश्चिम बंगाल के पेटुआघाट में मछली पकड़ने वाले बंदरगाह राज्य सरकार का बंदरगाह है । • सागरमाला के साथ विलय करके पीएमएमएसवाई के तहत कार्यान्वयन के लिए पत्तन, जहाजरानी और जलमार्ग (एमपीएसडब्ल्यू) की मंत्रालय के साथ परामर्श शुरू किया। • मछली पकड़ने के बंदरगाह पर 100 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है। • गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर अंतर्देशीय बंदरगाह/लैंडिंग केंद्र (पहलाचरण)। सीआईसीईएफ व्यवहार्यता अध्ययन कराने के लिए सीआईसीईएफ।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			• 29 दिसंबर, 2021 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) की केंद्रीय शीर्ष समिति (सीएसी) की 6वीं बैठक में पारादीप, ओडिसा में ₹99.75 करोड़ की कुल परियोजना लागत और ₹123.02 करोड़ की कुल परियोजना लागत पर महाराष्ट्र में मालेट बन्डर मजगांव मत्स्य बंदरगाह के उन्नयन और आधुनिकीकरण के दो प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
67	109	सीवीड फार्मिंग एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभर रहा है जिसमें तटीय समुदायों के जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता है – इससे बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सकेगा और अतिरिक्त आय पैदा की जा सकेगी। सीवीड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क की स्थापना किए जाने का मेरा प्रस्ताव है। **मंत्रालय/विभाग:** **मत्स्य**	• ₹100 करोड़ (केंद्र + राज्य) की लागत से पीएमएमएसवाई के तहत सीवीड पार्क बनाया जाएगा। • हब एवं स्पोक मॉडल अग्योपांत समाधान वाले क्लस्टर/क्षेत्रों को एकीकृत करते किया जाएगा। • फसल कटाई से पहले और बाद में बुनियादी अवसंरचना, व्यापार और वाणिज्य, लॉजिस्टिक, विपणन, निर्यात संवर्धन, नवाचार, प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन, ज्ञान प्रसार, मनोरंजन आदि के लिए सुविधाएं। • तमिलनाडु सरकार ने ₹279 करोड़ की लागत से एक प्रारंभिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसे लगभग ₹100 करोड़ तक यौक्तिसंगत बनाया जाएगा। • विस्तृत विचार-विमर्श के बाद तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह इस प्रस्ताव को स्पष्ट परिचालन और राजस्व सृजन मॉडल के साथ संशोधित करे और इस विभाग को प्रस्तुत करे।
68	110	हमने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत लाभार्थी देश में कहीं भी अपना राशन ले सकते हैं। प्रवासी मजदूरों को इस योजना का विशेष रूप से लाभ होगा क्योंकि वे अपने परिवार से दूर रह रहे हैं और जहां वह हैं वहां अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं जबकि उनका परिवार अपने मूल स्थान पर अपना बाकी राशन ले सकता है। मुझे आपको यह	• देश की लगभग 75 करोड़ लाभार्थियों यानी लगभग 943% एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) जनसंख्या को शामिल करते हुए 34 राज्यों/केंद्र प्रौद्योगिकी परिषद में वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना को निर्बाध रूप से सक्षम बनाया गया है। • वर्तमान में, ओनओआरसी के तहत लगभग मासिक औसत 2.5 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन (एनएफएसए और पीएमजीकेवाई लाभार्थियों) दर्ज किया जा रहा है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
		बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड की योजना 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही है जिसमें लगभग 69 करोड़ लाभार्थी आते हैं जोकि कवर किए गए कुल लाभार्थियों को 86 प्रतिशत होते हैं। शेष 4 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भी अगले कुछ महीनों में यह योजना लागू हो जाएगी। **मंत्रालय/विभाग:** **खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण**	• शेष 2 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों नामत: असम और छत्तीसगढ़ के एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है और उनकी तकनीकी तैयारी के आधार पर जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है।
69	111	गैर-संगठित क्षेत्र के श्रमिकों – विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों – के लिए किए जा रहे हमारे प्रयास को और आगे बढ़ाने के लिए मेरा प्रस्ताव एक ऐसे पोर्टल को शुरू करने का है जिस पर नावों, भवन निर्माण और निर्माण कार्य आदि में लगे श्रमिकों तथा अन्य श्रमिकों के बारे में संगत सूचना संग्रहित की जा सकती है, इससे प्रवासी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य, आवास, कौशल, बीमा, क्रेडिट और खाद्य संबंधी योजनाओं को तैयार करने में मदद मिल सकेगी। **मंत्रालय/विभाग:** **श्रम एवं रोजगार**	• श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल विकसित किया है जो आधार से जोड़े गए असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डाटाबेस है । • इसे 26-08-2021 को शुरू किया गया है और ई-श्रम पोर्टल का पंजीकरण शुरू करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सौंप दिया गया है। • 1 दिसम्बर, 2021 तक ई-श्रम पोर्टल पर 10 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों का पंजीकरण किया गया है।
70	112	4 श्रम संहिताओं को लागू करके हम उस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे जिसकी शुरूआत 20 वर्ष पहले हुई थी। विश्वभर में पहली बार नावों और प्लेटफार्मों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया गया है। सभी श्रेणी के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था लागू होगी और उनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत लाया जाएगा। महिलाओं को सभी श्रेणी में काम करने की इजाजत होगी और वे नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी तथा उनको	• सभी 4 कोड अधिसूचित किए गए हैं। 8 अगस्त, 2019 को भारत के राजपत्र में मजदूरी संहिता, 2019 अधिसूचित किया गया था। • 29 सितम्बर, 2020 को भारत के गजट में औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 अधिसूचित किए गए थे। • 4श्रम संहिताओं के तहत सभी ड्राफ्ट नियमों को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए पहले प्रकाशित किया गया है। • राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे संबंधित

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
		प्रर्याप्त सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। इसी समय नियोजकों पर पड़ने वाले अनुपालन भार को भी कम किया जाएगा और उनको सिंगल रजिस्ट्रेशन और लाइंसेंसिंग का लाभ दिया जाएगा और वे अपना रिटर्न ऑनलाइन भर सकेंगे। **मंत्रालय/विभाग:** **श्रम एवं रोजगार**	विभागों को श्रम संहिता के तहत नियम बनाने के निर्देश दें।
71	113	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए चलाई गई स्टैण्ड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत ऋण की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि मार्जिंग मनी की आवश्यकता को 25 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत कर दिया जाए और इसमें कृषि से संबंधित क्रियाकलापों के लिए भी दिए जाने वाले ऋण को शामिल किया जाए। **मंत्रालय/विभाग:** **वित्तीय सेवाएं**	योजना में संशोधनों के अनुमोदन के परिणामस्वरूप योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, एसआईडीबीआई और एनसीजीटीसी को 08.02.2021 को एक पत्र जारी किया गया है।
72	116	15,000 से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किया जाएगा ताकि वहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों का अनुपालन हो सके। वे अपने-अपने क्षेत्र में एक उदाहरणपरक विद्यालय के रूप में उभरकर आएंगे और अन्य विद्यालयों को भी सहारा देंगे तथा मार्गदर्शन करेंगे ताकि इस नीति के आदर्श को प्राप्त किया जा सके। **मंत्रालय/विभाग:** **स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता**	आदर्श स्कूलों के लिए योजना से संबंधित कैबिनेट नोट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।
73	117	गैर सरकारी संगठनों/निजी स्कूलों/राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। **मंत्रालय/विभाग:** **रक्षा**	• 12.10-2021 को मंत्रिमंडल ने संबद्धता के आधार पर गैर-सरकारी संगठन/निजी स्कूलों/राज्य के स्वामित्व वाले स्कूलों के साथ साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। • रक्षा मंत्रालय ने इच्छुक पक्षों से संबद्धता प्राप्त

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			करने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। इस संबंध में, इच्छुक निजी/गैर-सरकारी संगठनों/राज्य सरकारों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए एक वेबसाइट शुरू की गई है। • 13-01-2022तक 155अभिरूचि की अभिव्यक्तियां ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं।
74	118	बजट 2019-20 में, मैंने भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग गठित करने के बारे में उल्लेख किया था। हम उसे क्रियान्वित करने के लिए इस वर्ष विधान पेश करेंगे। यह एक छत्रक निकाय होगा जिसमें निर्धारण, प्रत्यायन, विनियमन, और फंडिग के लिए चार अलग-अलग घटक होंगे। **मंत्रालय/विभाग:** **उच्च शिक्षा**	• नई शिक्षा नीति - 2020 के अनुमोदन के बाद, एनईपी, 2020 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, 2019का मसौदा फिर से तैयार किया गया है। • हितधारक परामर्श की प्रक्रिया चल रही है।
75	119	हमारे अधिकतर शहरों में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय और कॉलेज होते हैं जिनको भारत सरकार से सहायता प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद में ऐसे लगभग 40 प्रमुख संस्थान हैं। ऐसे 9 शहरों में हम औपचारिक रूप से छत्रक संरचनाओं की स्थापना करेंगे जिससे इन संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय हो सके और साथ ही साथ इनकी आंतरिक स्वायत्तता भी बरकरार रखी जा सके। इस उद्देश्य के लिए एक ग्लू ग्रांट अलग से रखा जाएगा। **मंत्रालय/विभाग:** **उच्च शिक्षा**	• योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है।
76	120	लद्दाख में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का हमारा प्रस्ताव है। **मंत्रालय/विभाग:** **उच्च शिक्षा**	• लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय नाम से केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 12-08-2021 को केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है। • स्थल चयन समिति ने 01.11.2021को साइट का दौरा किया और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
77	121	एनईपी के हिस्से के रूप में अपनाई जाने वाली कुछ अन्य प्रमुख परियोजनाएं नीचे दी गई हैं: **नई शिक्षा नीति (एनईपी) के भाग के रूप में पहल** • सभी विद्यालयीन शिक्षकों के लिए मानक तैयार किए जाएंगे जो शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय वृत्तिका मानक-एनपीएसटी के रूप में होंगे। यह शिक्षकों की क्षमताओं को बढ़ाएगा और इसका देश में सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालय प्रणाली के सभी *92* लाख शिक्षकों द्वारा पालन किया जाएगा। **मंत्रालय/विभाग:** **स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता**	• एनईपी 2020 का उद्देश्य सभी शिक्षार्थियों को एक समान उच्चतम गुणवत्ता की शिक्षा मुहैया कराना है। • इस उद्देश्य को युक्तिसंगत बनाने के लिए, विभिन्न विशेषज्ञता/अनुभव चरणों में एक शिक्षक की आवश्यक दक्षताओं को निर्धारित करने के लिए शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय वृत्तिका मानक (एनपीएस) का मसौदा तैयार किया गया है। • एनपीएसटी पर प्रारंभिक मसौदा दस्तावेज एनसीटीई की वेबसाइट और माईगॉव प्लेटफॉर्म पर सभी हितधारकों से सुझाव/फीडबैक आमंत्रित करते हुए रखा गया है। • दस्तावेज पर सुझाव/फीडबैक प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक सुलभता भी शुरू की गई है। • राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद और सभी राज्यों/केंद्रों द्वारा कार्यान्वित किए जाने के बाद अगस्त 2022 तक एनपीएसटी शुरू किए जाने की संभावना है।
		• खिलौने मनोरंजन और अधिगम दोनों की अभिव्यक्ति हैं। विद्यालयीन शिक्षा के सभी स्तरों के लिए एक अनूठी स्वदेशी खिलौना-आधारित अधिगम प्रति-शिक्षा तैयार किया जाएगा। यह कक्षा की पढ़ाई को नीरस और रटे-रटाए अधिगम से रोचक एवं आनंददायक अनुभव में बदल देगा।	• अवधारणाओं/कौशल/अधिगम परिणामों के साथ विभिन्न प्रकार के खिलौनों और खेलों का मानचित्रण किया गया है। • राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क में खिलौना आधारित अधिगम को भी शामिल किया जाएगा। • निष्ठा-माध्यमिक चरण के लिए खिलौना आधारित शिक्षण मॉड्यूल को दीक्षा के अनुरूप बनाया गया है। • निष्ठा 3.0 (एफएलएन) के लिए खिलौना आधारित शिक्षण मॉड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। • कला उत्सव, राष्ट्रीय खिलौना मेला और टॉयकैथॉन के दौरान स्वदेशी खिलौनों और खेलों के विकास सहित स्कूली शिक्षा के लिए खिलौनों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			• खिलौना आधारित शिक्षण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 30 नवंबर, 2021 से 1 दिसंबर 2021 के दौरान आयोजित किया गया। • अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान खिलौना आधारित शिक्षण के लिए कार्यनीति दस्तावेज जारी किया जाएगा।
		• डिजीटल फर्स्ट मनोदशा के संदर्भ के में एक राष्ट्रीय डिजीटल शैक्षणिक संरचना स्थापित की जाएगी जिसमें डिजीटल संरचना न केवल शिक्षण एवं अधिगम गतिविधियों का बल्कि केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की शैक्षणिक योजना, अभिशासन और प्रशासनिक गतिविधियों को सहायता प्रदान करेगी। यह डिजीटल अवसंरचना के विकास के लिए विविध शिक्षा इको-सिस्टम संरचना उपलब्ध कराएगी जो एक संघीय किंतु अंतर्प्रचालनीय प्रणाली होगी जो सभी हितधारकों, विशेषकर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की स्वायत्तता सुनिश्चित करेगी।	• माननीय प्रधान मंत्री ने 29 जुलाई, 2021 को एनडीईएआर ब्लूप्रिंट लॉन्च किया था। • 12 श्रेणियों में एनडीईएआर के 36 बिल्डिंग ब्लॉक्स की पहचान की गई है। • इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के विकास पर काम शुरू कर दिया गया है।
		• वधिर बच्चों के लिए सरकार देशभर में भारतीय संकेत भाषा के मानकीकरण पर कार्य करेगी, और उनके द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्यीय पाठ्यचर्या सामग्री तैयार करेगी।	• एनसीईआरटी आईएसएल साइन वेरिएंट संग्रहण, आईएसएल में शब्दकोश और पाठ्यक्रम तैयार करने में लगा हुआ है। • दिसंबर, 2021 के अंत तक, एनसीईआरटी ने भारतीय संकेत भाषा (आईएसएल) में 949 सांकेतिक भाषा के वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्यपुस्तकों से संबंधित ऐसे 514 वीडियो दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। • पीएमईविद्या डीटीएच टीवी चैनलों पर लाइव इंटरेक्टिव सत्रों के माध्यम से आईएसएल पर चर्चा की जा रही है। • आईएसएल में लगभग दस हजार शब्दों का शब्दकोष तैयार किया गया है और सभी 10,000 शब्दों के वीडियो दीक्षा पर अपलोड किए गए हैं।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
		• बड़ी संख्या में वरिष्ठ एवं सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। उनका विषयों, थीम और अध्ययन पर निरंतर ऑनलाइन/ऑफलाइन सहयोग के माध्यम से विद्यालयीन शिक्षकों और ज्ञान प्रदाताओं की व्यक्तिपरक मेंटरिंग के लिए उपयोग किया जाएगा।	• राष्ट्रीय अनुभवी परामर्शदाता मिशन (एनएमएम) का उद्देश्य उत्कृष्ट वरिष्ठ/सेवानिवृत्त शिक्षकों का एक बड़ा पूल तैयार करना है, जिनमें लघु और दीर्घकालिक सलाह/पेशेवर सहायता प्रदान करने के इच्छुक भारतीय भाषा सिखाने की क्षमता वाले शिक्षक भी शामिल होंगे। • मेंटरिंग मिशन के लिए दिशा-निर्देशों के रूप में एनएमएम पर 'ब्लूबुक ऑन मेंटरिंग शीर्षक से एक मसौदा दस्तावेज तैयार किया गया है। • दिशानिर्देशों को 03.11.2021 को सुझाव/प्रतिक्रिया के लिए माई मायगव प्लेटफॉर्म सहित सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। • एनएमएम का पहला मसौदा मार्च 2022 तक तैयार हो जाएगा।
		• अब तक विद्यार्थियों का एक-आयामी पैरामीटरों पर मूल्यांकन किया गया है। अब पूरी तरह बदलाव होगा जिसमें आकलनों का उपयोग न केवल शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक स्तरों को आंकने के लिए बल्कि उसका बच्चे की अद्वितीय खूबियों और सम्भाव्यता की पहचान करने के एक अवसर के रूप में उपयोग करने के लिए किया जाएगा। इस आशय से, एक सर्वसमावेशी प्रगति कार्ड की परिकल्पना की गई है जो विद्यार्थियों को उसकी खूबियों, रूचि के क्षेत्रों, ध्यान दिए जाने के लिए जरूरी क्षेत्रों पर मूल्यवान सूचना उपलब्ध कराएगा और इस तरह, इष्टतम करियर विकल्प बनाने में उनकी सहायता करेगा।	• समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी) शिक्षार्थियों के विकास के सभी पहलुओं, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, आदि में समय के साथ उनकी उपलब्धियों को केवल एक बार मात्रात्मक रूप से मापने के बजाय विकास पर एक समान ध्यान देता है। . • सीबीएसई ने कक्षा नर्सरी से कक्षा III के लिए एचपीसी प्रोटोटाइप तैयार किया है। • बच्चों में दक्षताओं की पहचान करने के लिए निर्देशों के तहत शिक्षकों के लिए अनुकरणीय सरल गतिविधियां प्रायोगिक तौर पर शुरू करने के लिए तैयार की गई है। • प्रायोगिक गातिविधियों के लिए स्कूलों की भी पहचान की गई है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
		• संसाधनों की अभिगम्यता बढ़ाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा के संपूर्ण पहलुओं को शामिल करते हुए ऑनलाइन मॉड्यूलों शुरू किया जाएगा।	• राष्ट्रीय प्रौढ़ साक्षरता केंद्र (एनसीएएल), एनसीईआरटी प्रौढ़ शिक्षा पर ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित करने और उन्हें दीक्षा पोर्टल पर अपलोड करने में लगा हुआ है। • प्रौढ़ शिक्षा के लिए दीक्षा पोर्टल के तहत एक कार्यक्षेत्र शुरू किया गया है और निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गई हैं: (1) दीक्षा पोर्टल पर मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर 02 वीडियो अपलोड किए गए हैं। (2) मूलभूत साक्षरता पर 07 वीडियो और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस (टीसीएस) द्वारा विकसित संख्यात्मकता पर 06 वीडियो की समीक्षा की गई और दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। (3) संबंधित मंत्रालयों/संगठनों से प्राप्त 184 वीडियो और 29 संसाधन सामग्री की समीक्षा की गई और दीक्षा पोर्टल पर अपलोड की गई। (4) आधारभूत साक्षरता के लिए 05 कार्यपत्रक और संख्यात्मकता के लिए 05 कार्यपत्रकों को विकसित कर दीक्षा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। (5) आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए 20 मूल्यांकन पत्रक विकसित किए गए हैं और दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं।
		• कोविड-19 महामारी के बावजूद हमने शिक्षा के संपूर्ण पहलुओं को कवर करते हुए प्राथमिक विद्यालयों के 30 लाख से रुपये अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। इसे आगे ले जाते हुए 2021-22 में हम समग्र प्रगति के लिए विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) के माध्यम से 56 लाख विद्यालयीन शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे।	• विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीएसईएंडएल) ने स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के लिए निष्ठा (राष्ट्रीय स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति) एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम 1.0, 2.0 और 3.0 ऑनलाइन शुरू किया है। • निष्ठा में प्रारंभिक स्तर (कक्षा I-VIII) के लिए निष्ठा 1.0 शामिल है - इसमें अब तक 41 लाख प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है;

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			• माध्यमिक स्तर के लिए निष्ठा 2.0 (कक्षा IX-XII) - 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने (केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को छोड़कर) देश भर में 10 लाख माध्यमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है; तथा • निपुण भारत के लिए निष्ठा 3.0 (ईसीसीई से कक्षा V) - 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को छोड़कर) ने देश भर में 25 लाख पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को कवर करने के लक्ष्य के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की है।
		• पिछले कुछ वर्षों से हमारे प्रधानमंत्री विद्यार्थियों के साथ, उनकी बोर्ड परीक्षाओं से पहले, जुड़ते रहे हैं ताकि चिंता एवं तनाव पर करने में उनकी मदद की जा सके। इस दिशा में, हम सीबीएसई बोर्ड परीक्षा सुधार चरणबद्ध तरीके से शुरू करेंगे। यह 2022-23 से प्रभावी होगा। परीक्षाओं को रटे-रटाए शिक्षण से दूर किया जाएगा और विद्यार्थियों को उनकी अवधारणात्मक सुस्पष्टता, विश्लेषणात्मक कौशल और ज्ञान को वास्तविक जिंदगी की स्थितियों पर लागू करने की दृष्टि से परखा जाएगा। **मंत्रालय/विभाग:** **स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता**	• सीबीएसई ने सत्र 2021-22 के लिए कक्षा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा के लिए मूल्यांकन की अपनी विशेष योजना की घोषणा की है। • बोर्ड ने दसवीं और बारहवीं कक्षा में क्रमशः 30 और 20 प्रतिशत योग्यता आधारित प्रश्नों के नमूना प्रश्न पत्र तैयार किए हैं। • 2021 में दो चरण की मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षा और सुधार परीक्षा शुरू की गई है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
		• विदेशी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के साथ अकादमिक सहयोग को बढ़ाए जाने के लिए दोहरी उपलब्धियां, संयुक्त उपाधियां, युग्मज व्यवस्थाएं करने और अन्य ऐसे तंत्रों का अनुमति देने के लिए एक विनियामक तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। **मंत्रालय/विभाग:** **उच्च शिक्षा**	• मसौदा यूजीसी (टविनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों प्रदान करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग) विनियम, 2021 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। • विनियमों को अभी अधिसूचित किया जाना है।
78	122	हमने अपने जनजाति क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल रेजीडेन्सियल स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। मेरा प्रस्ताव ऐसे स्कूलों की इकाई लागत को ₹20 करोड़ से बढ़ाकर ₹38 करोड़ करने का है और पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए तो इसे बढ़ाकर ₹48 करोड़ करने का है। इससे हमारे जनजातीय विद्यार्थियो के लिए अवसंरचना सुविधा तैयार करने में मदद मिलेगी। **मंत्रालय/विभाग:** **जनजातिय कार्य**	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की योजना को 2021-22 और 2025-26 की अवधि के लिए जारी रखने के लिए सीसीईए नोट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।
79	123	हमने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्टमैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को नए सिरे से शुरू किया है। हमने इस वाबत केंद्र की सहायता में भी वृद्धि की है। हम अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 2025-26 तक की 6 वर्ष की अवधि के लिए ₹35,219 करोड़ का आबंटन कर रहे हैं। **मंत्रालय/विभाग:** **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता**	इस योजना को मार्च 2021 में संशोधित किया गया था और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, 62 लाख से अधिक लाभार्थियों को कवर करते हुए ₹4008.60 करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।
80	124	2016 में, हमने एक राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। सरकार का प्रस्ताव प्रशिक्षुता अधिनियम में संशोधन	प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 में संशोधन के लिए कैबिनेट नोट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
		करने का है जिससे कि हमारे युवाओं को एप्रेंटिसशिप के और अवसर मिल सके। हम शिक्षोपरांत एप्रेंटिसशिप, इंजीनियरिंग में स्नातक और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए नेशनल एप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की वर्तमान योजना को फिर से ठीक करना चाहते हैं। इसके लिए ₹3,000 करोड़ से अधिक राशि उपलब्ध कराई जाएगी। **मंत्रालय/विभाग:** **कौशल विकास एवं उद्यमिता**	
81	125	संयुक्त अरब अमीरात के साथ भागीदारी से एक प्रयास किया जा रहा है ताकि कौशलपूर्ण अर्हता, आकलन और प्रमाणन के न्यूनतम मानदण्ड तैयार किए जा सके और साथ ही साथ प्रमाणपत्र प्राप्त श्रमिकों को काम पर भी लगाया जा सके। भारत और जापान के बीच हमारा एक सहभागी ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग कार्यक्रम भी चल रहा है जिससे जापान की औद्योगिक और व्यावसायिक कुशलता तकनीक और ज्ञान का लाभ हमें मिल सके। हम अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के प्रयास करने वाले हैं। **मंत्रालय/विभाग:** **कौशल विकास एवं उद्यमिता**	• विभिन्न देशों के श्रम बाजार से संबंधित वैश्विक संस्थानों और संगठनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत, समन्वय और अनुबंध किया जाएगा। • इस संबंध में आगे की कार्रवाई को अनुबंध करने के लिए नियामकों, नियोक्ताओं और प्रमोटरों और उसके प्रलेखन सहित संस्थागत तंत्र सुनिश्चित करने के लिए नियामक अधिकारियों के साथ देश-वार बैठक करना। • भारतीय कामगारों की देश-विशिष्ट आवश्यकताओं और अपेक्षाओं का आकलन करने के लिए विदेशी जनशक्ति आपूर्तिकर्ताओं के साथ बैठक करना। • देशों की पहचान करने के लिए कुशल जनशक्ति गतिशीलता के मामले में गति और परिमाण सुनिश्चित करने के लिए देश-वार कार्यनीति और स्थिति रिपोर्ट तैयार करना।
82	126	अपने जुलाई, 2019 के बजट अभिभाषण में हमने एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की घोषणा की थी। अब हमने इन 5 वर्षों में ₹50,000 करोड़ के परिव्यय से इस एनआरएफ की कार्यप्रणाली तैयार कर ली है। इससे देश की संपूर्ण अनुसंधान व्यवस्था मजबूत होगी और अभिज्ञात व राष्ट्रीय प्राथमिकतापरक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित हो सकेगा। **मंत्रालय/विभाग:** **प्रधान वैज्ञानिक सलाहकारका कार्यालय**	• एनआरएफ की स्थापना के लिए दिनांक 01.02.202 को प्राप्त व्यय विभाग के आईडी नोट को ईएफसी की स्वीकृति। • मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
83	127	विगत हाल में डिजिटल पेमेंट के मामले में कई गुना वृद्धि हुई है। इस डिजिटल लेन-देन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए हमने एक प्रस्तावित योजना के लिए ₹1,500 करोड़ निर्धारित किए हैं जिससे डिजिटल मोड में भुगतान करने के लिए वित्तीय रूप से प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। **मंत्रालय/विभाग:** **एमईआईटीवाई**	**प्रोत्साहन योजना (कुल परिव्यय:** ₹1,300 **करोड़):** ▪ डिजिटल लेनदेन को और बढ़ावा देने के लिए, एमईआईटीवाई द्वारा एक मसौदा योजना तैयार की गई है, जो रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के (₹**2,000** तक) भीम-यूपीआई (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए बैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव करती है। ▪ इस योजना से बैंकों को मजबूत डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और देश में रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई भुगतान के तरीकों को बढ़ावा देने में सुविधा होगी। ▪ प्रस्तावित योजना की अवधि **1** वर्ष है जो **01** अप्रैल**, 2021** से प्रभावी है। ▪ ईएफसी ने **02.09.2021** को योजना को मंजूरी दी। कैबिनेट नोट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। **नियोजित पहल (कुल परिव्यय:** ₹200 **करोड़):** ▪ विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसेकि स्ट्रीट वेंडर्स (एसवी), क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं (डेयरी सहकारी समितियों एसएचजी, एफपीओ आदि), संपर्क रहित भुगतान समाधान, डिजिटल भुगतान समाधान के लिए फीचर फोन आदि का समाधान करके डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने हेतु सहायता अनुदान देने के लिए विभिन्न संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ▪ प्रस्ताव विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के अधीन हैं। ▪ देश में डिजिटल भुगतान की पैठ बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं, जागरूकता अभियानों और क्षमता निर्माण सहित डिजिटल भुगतान प्रचार गतिविधियों के लिए भी धन का एक हिस्सा खर्च किया जाएगा।
84	128	हम एक नई पहल – राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनटीएलएम) शुरू करने वाले हैं। इससे शासन एवं नीति से संबंधित ज्ञान को भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट	• मिशन को मंजूरी दे दी गई है। • अनुसंधान एवं अभिकल्प की आवश्यकता संबंधी प्रस्तावों के तहत प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
		पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। **मंत्रालय/विभाग:** **एमईआईटीवाई**	• हितधारकों के साथ वचनबद्धता प्रक्रियाधीन है।
85	129	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) जोकि अंतरिक्ष विभाग का एक सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठान है, पीएसएलबी–सीएस51 को लांच करेगा जो अपने साथ ब्राजील का एमाजोनिया उपग्रह भी ले जाएगा और उसके साथ ही भारत के कुछ छोटे-मोटे उपग्रह भी होंगे। **मंत्रालय/विभाग:** **अंतरिक्ष**	18 अन्य सह-यात्री उपग्रहों के साथ ब्राजील से अमेज़ोनिया उपग्रह भेजने वाले पीएसएलवी-सी51 को श्रीहरिकोटा से 28 फरवरी 2021 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है।
86	130	गगनयान मिशन के क्रियाकलाप के अलावा भारत के चार अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में जैनेरिक स्पेस फ्लाइट पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मानव रहित पहला लांच दिसम्बर, 2021 में होने वाला है। **मंत्रालय/विभाग:** **अंतरिक्ष**	गगनयान मिशन के हिस्से के रूप में निम्नलिखित गतिविधियां प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं: - ▪ मानव-रेटेड वाहन तैयारी ▪ क्रू मॉड्यूल का विकास ▪ सेवा मॉड्यूल का विकास (एसएम) ▪ क्रू एस्केप सिस्टम का विकास ▪ ट्रैकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉन्च कॉम्प्लेक्स ▪ चालक दल प्रबंधन
87	131	हमारे सागर जैविक और गैर-जैविक संसाधनों के भंडार गृह हैं। इस व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक गहरा सागर मिशन शुरू करने वाले हैं जिसके लिए अगले पांच वर्षों के लिए ₹4,000 करोड़ के बजट परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस मिशन में गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण के कार्यों को तथा गहरे समुद्र की जैवविविधता के संरक्षण की परियोजनाओं को शामिल किया गया है। **मंत्रालय/विभाग:** **भू - विज्ञान**	• 6000 मीटर गहराई रेटेड वाहन डिजाइन के लिए उप-प्रणालियों की सामान्य व्यवस्था पूरी हो गई है। • मानव रेटेड उपयोग के लिए 500 मीटर क्षमता के लिए उथले जल कार्मिक क्षेत्र को 606 मीटर पर खुले समुद्र में विकसित और परीक्षण किया गया था। वीएसएससी-इसरो के साथ 6000 मीटर गहराई रेटेड कार्मिक क्षेत्र का डिजाइन पूरा हो गया है। • प्रणोदन प्रणाली और 6000 मीटर का ली-पॉलिमर बैटरी प्रमाणपत्र के साथ प्राप्त हुआ। • मानव सहायता और सुरक्षा प्रणाली प्रयोगशाला प्रयोगों को पूरा किया गया और प्रमाणीकरण के साथ प्राप्ति के लिए आदेश दिया गया।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			• खनन मशीन का संचालन मध्य हिंद महासागर में 5270 मीटर पर पूरा किया गया। स्थानीय पम्पिंग सिस्टम के साथ कलेक्टर क्रशर डिवाइस प्राप्त किया गया और मध्य हिंद महासागर में समुद्री परीक्षणों के लिए शामिल करने का कार्य प्रगति पर है।
88	133	हमने तीव्रतापूर्वक न्याय देने के लिए विगत छह वर्षों में अधिकरणों के कामकाज में सुधार लाने के लिए कई प्रकार के कदम उठाए हैं। इसे और आगे ले जाते हुए मैं छह अधिकरणों को समाप्त करने का प्रस्ताव करती हूँ। **मंत्रालय/विभाग:** **राजस्व**	• सरकार ने 13.08.2021 को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 अधिनियमित किया है, जो ट्रिब्यूनल के युक्तिसंगत बनाने के साथ-साथ विभिन्न ट्रिब्यूनल के अध्यक्षों और सदस्यों की सेवा की समान शर्तों जैसे एक समान कार्यकाल / सेवानिवृत्ति की आयु, खोज सह चयन समिति आदि की संरचना प्रदान करता है। • इसके बाद, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्व विभाग ने 16.09.2021 को ट्रिब्यूनल (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों के पद के लिए योग्यता का उपबन्ध की व्यवस्था करता है
89	134	हमने 56 सहबद्ध स्वास्थ्य रक्षा वृत्तियों का पारदर्शी और कुशल विनियमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संसद में राष्ट्रीय सहबद्ध वृत्तिक आयोग विधेयक पेश किया है। इसके अतिरिक्त, परिचर्या वृत्ति में पारदर्शिता, कुशलता और अभिशासन सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिचर्या और धात्री-विद्या आयोग विधेयक पारित किए जाने हेतु पेश किया जाएगा। **मंत्रालय/विभाग:** **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**	• राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशा आयोग (एनसीएएचपी) अधिनियम, 2021 संसद द्वारा 28.03.2021 को अधिनियमित किया गया था। • संबद्ध स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल पेशों के लिए अंतरिम आयोग को भी 23.09.2021 को अधिसूचित किया गया है। • जहां तक राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक का संबंध है, उसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।
90	135	जो लोग सरकार या केंद्रीय लोक उपक्रमों के साथ लेन-देन करते हैं, और संविदाएं निष्पादित करते हैं उनकी व्यापारिक सुगमता के लिए मैं सुलह तंत्र स्थापित	• एक समाधान सुलह तंत्र प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की भागीदारी के साथ एक कार्य दल का गठन किया गया था।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
		करने और संविदात्मक विवादों का शीघ्रतापूर्वक समाधान करने के लिए उसका उपयोग किया जाना अधिदेशित करने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे गैर-सरकारी निवेशकों और संविदाकारों का भरोसा बढ़ेगा। **मंत्रालय/विभाग:** **नीति आयोग**	• टास्क फोर्स ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, 'सुलह के माध्यम से सरकारी और निजी संस्थाओं के बीच विवादों के समाधान के लिए दिशानिर्देश' की सिफारिश की। • अंतिम टास्क फोर्स रिपोर्ट सभी सदस्यों को परिचालित की गई। कैबिनेट नोट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।
91	136	आगामी जनगणना भारत के इतिहास में पहली डिजीटल जनगणना होगी। इस अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं मील का पत्थर साबित होने वाले कार्य के लिए मैंने वर्ष 2021-22 में ₹3,768 करोड़ आबंटित किए हैं। **मंत्रालय/विभाग:** **गृह मंत्रालय**	• आंकड़ों के संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और विभिन्न जनगणना संबंधी गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक जनगणना पोर्टल विकसित किया गया है। • प्रगणकों और अन्य जनगणना कर्मियों के लिए निर्देश नियमावली तैयार की गई है।जनगणना प्रश्नावली और कार्यप्रणाली का परीक्षण करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चयनित क्षेत्रों में जनगणना का पूर्व परीक्षण किया गया है। • पूर्व परीक्षण के लिए, जनगणना से संबंधित कार्यों के लिए मानदेय आदि को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) का उपयोग करके सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था। • 2011 की जनगणना के संकलन/संग्रह के बाद क्षेत्राधिकार में परिवर्तन हुए। समय सीमा वर्तमान में 30.06.2022 तक बढ़ा दी गई है। • आगामी जनगणना के लिए मार्च-अप्रैल, 2021 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न भाषाओं में डेटा संग्रह के लिए अद्यतन मोबाइल ऐप, पर्यवेक्षी मोबाइल ऐप, मैपिंग मोबाइल ऐप, स्वयं गणना और अद्यतन जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस) पोर्टल के परीक्षण के लिए एक लघु क्षेत्र परीक्षण आयोजित किया गया था।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
92	138	मैं चाय श्रमिकों, विशेषकर असम और पश्चिम बंगाल में महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए ₹1000 करोड़ उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती हूँ। उसके लिए एक विशेष योजना बनाई जाएगी **मंत्रालय/विभाग:** **वाणिज्य**	• असम और पश्चिम बंगाल के चाय श्रमिकों विशेषकर महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए योजना का एक मसौदा प्रस्ताव जिसे "प्रधान मंत्री चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना" (पीएमसीएसपीवाई) (2021-22 से 2025-26) कहा जाएगा, 20.04.2021 को व्यय (डीओई)विभाग को प्रस्तुत किया गया था। • डीओई ने दिनांक 22.09.2021 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लेख किया है कि प्रस्तावित योजना में विभिन्न घटक हैं जो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं का हिस्सा हैं। इसने यह भी उल्लेख किया कि पहले से ही एक कार्यान्वयन तंत्र मौजूद है और इसलिए, योजना के विभिन्न घटकों को विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा लागू किया जा सकता है और इस योजना के लाभार्थियों की पहचान चाय बोर्ड, वाणिज्य विभाग (डीओसी) द्वारा की जाएगी। • तदनुसार, डीओई ने दिनांक 03.11.2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से डीओसी को जीवन स्तर में समग्र वृद्धि के लिए पूंजी अवसंरचना (बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, महिलाओं और बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र, आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, स्कूल और कौशल केंद्र आदि) प्रदान करने के लिए ईएफसी प्रस्ताव को संशोधित करने की सलाह दी। और चाय श्रमिकों को बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान करना। • डीओसीने दिनांक 21.12.2021के कार्यालय ज्ञापन द्वारा व्यय विभाग को संबंधित मंत्रालयों/विभागों (अर्थात स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, एमएसडीई, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) को सीधे तौर पर निधियां आबंटित करने के संबंध में विचार करने का अनुरोध किया है जो कि उन परियोजनाओं को निष्पादित/कार्यान्वित करेंगे।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
93	141	सं.अ. 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9.5 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है। हमने इसका सरकारी उधारियों, बहुपक्षीय उधारियों, लघु बचत निधियों और अल्पावधि उधारियों के माध्यम से निधीयन किया है। हमें और ₹80,000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी जिसके लिए हम इन 2 महीनों को बाजार से संपर्क करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अर्थव्यवस्था को जरूरी ताकत मिल सके, 2021-22 में व्यय के लिए हमारा ब.अ. आकलन ₹34.83 लाख करोड़ है। इसमें पूंजीगत व्यय के रूप में ₹5.54 लाख करोड़ शामिल है। इस तरह, 2020-21 के ब.अ. आंकड़ों पर 34.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। ब.अ. 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। अगले वर्ष के लिए बाजार से सकल उधारी लगभग ₹12 लाख करोड़ होगी। हमारी योजना है कि हम राजकोषीय समेकन के अपने पथ पर चलना जारी रखें, और राजकोषीय घाटा स्तर को कम करके 2025-26 तक इस अवधि के दौरान साधारण रूप से स्थिर ह्रास के साथ, जीडीपी के 4.5 प्रतिशत पर लाना चाहते हैं। हम पहले, बेहतर अनुपालन के माध्यम से कर राजस्व में उछाल लाकर, और दूसरे, परिसंपत्तियों, जिनमें लोक उद्यम और भूमि सम्मिलित है, के मुद्रीकरण से प्राप्तियां बढ़ाकर समेकन हासिल करने की उम्मीद करते हैं। इस विधेयक के माध्यम से भारत की आकस्मिकता निधि ₹500 करोड़ बढ़ाकर ₹30,000 करोड़ की जा रही है। **मंत्रालय/विभाग:** **आर्थिक कार्य**	• जैसाकि घोषित किया था, सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे के जीडीपी के 4.5% से कम स्तर को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय समेकन के व्यापक माध्यम का अनुसरण कर रही है। • सरकार ने वित्त अधिनियम, 2021 के माध्यम से भारत की आकस्मिक निधि कारपस को ₹500 करोड़ से बढ़ाकर ₹30,000 करोड़ कर दिया है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
94	142	15वें वित्त आयोग के अभिमत के अनुसार हम राज्यों के लिए निवल उधारी की सामान्य उच्चतम सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 4 प्रतिशत पर नियत करने की अनुमति दे रहे हैं। इस उच्चतम सीमा का एक हिस्सा वृद्धिपरक पूंजीगत व्यय पर खर्च किए जाने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत के बराबर की अतिरिक्त उधारी उच्चतम सीमा की शर्तों के अधीन दी जाएगी। राज्यों से अपेक्षा की जाएगी कि वे 2023-24 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक ले आएं जैसाकि 15वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई है। **मंत्रालय/विभाग:** **व्यय**	• वर्ष 2021-22 के लिए जीएसडीपी के 4 प्रतिशत की निवल उधार सीमा (एनबीसी) के बारे में 31.03.2021 को राज्यों को सूचित किया गया था। 4 प्रतिशत एनबीसी में से 0.50 प्रतिशत जीएसडीपी को वृद्धिपरक पूंजीगत व्यय से जोड़ा गया है। • पूंजीगत व्यय की समीक्षा के दो रांउड के बाद, ₹32,502 करोड़ की कुल अतिरिक्त उधार अनुमति 29.12.2021 तक राज्यों को जारी किए जा चुकी हैं। • जीएसडीपी के 4% के एनबीसी के अलावा, राज्य बिजली क्षेत्र में प्रदर्शन से जुड़े राज्यों को जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत के अतिरिक्त उधार के लिए भी पात्र हैं। उसी के दिशानिर्देश 09.06.2021 को जारी किए गए थे।
95	145	एक व्यापक मार्ग, के साथ जिसका मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया है, केंद्रीय सरकार के राजकोषीय घाटे को उपार्जित करने के लिए मैं एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन पेश करूंगी। **मंत्रालय/विभाग:** **आर्थिक कार्य**	महामारी से उत्पन्न अनिश्चताओं को देखते हुए, सरकार लोगों के जीवन/आजीविका को संरक्षित करने के लिए एक संघरित और व्यापक आधार आर्थिक समृद्धि हासिल करने के सभी प्रयास जारी रखेगी, जबकि पहले ही घोषित राजकोषीय औचित्य मार्ग का अनुसरण कर रही है। तदनुसार, विपथ्न का उल्लेख करने वाला एक विवरण संसद के समक्ष राजकोषीय नीति विवरण के साथ रख दिया गया है।